लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २७, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXVII, 1964/1885 (Saka)

[९ से २० मार्च, १९६४/१९ से ३० फाल्गुन, १८८५ (शक)]

[March 9 to 20, 1964/ Phalguna 19 to 30, 1885 (Saka)]

Preservation
Fumigated On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

(Vol. XXVII contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

अंक २५— शुक्रवार, १३ मार्च, १९६४ / २३ फाल्गुन, १८८५ (शाक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१९२३—५३
*तारांकित प्रश्न संख्या		
५६५	खनिज तथा धातु व्यापार निगम का पोलैंड के साथ करार	१९२३–२४
५६६	लौह अयस्क का निर्यात	१९२४–२५
५६७	मोटर साइकिल और स्कूटर	१९२६—२९
५६८	ऊनी कपड़ा उद्योग	१९२९—३१
५६९	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ का सम्मेलन	१९३१–३२
५७०	नागालैंड में चुनाव	१९३२—३४
५७१	उत्पादकता परिषद्	१९३४—३८
५७२	इस्पात उत्पादन	१९३८—४१
५७५	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	१९४१—४३
५७६	उड़ीसा के विकास कार्यक्रम	१९४३–४४
५७७	अमरीका द्वारा रूई का सम्भरण	१९४४–४५
५७८	रूरकेला इस्पात कारखाना	१९४५—४७
५८१	इस्पात उद्योग में विदेशी ग़ैर-सरकारी पूंजी	१९४७
५८४	लोहा तथा इस्पात निदेशक का कार्यालय, कलकत्ता	१९४८
५८५	कपड़ा मशीनों का आयात	१९४९–५०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
६	दिल्ली दुग्ध योजना	१९५०—५३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१९५३—७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
५७३	गोआ लौह अयस्क खानें	१९५३–५४
५७४	सस्ते कैमरों का निर्माण	१९५४

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 25—*Friday, March* 13, 1964/*Phalguna* 23, 1885 (*Saka*)

	Subject	PAGE
	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1923—53
*Sarred Quesions Nos.		
565	M.M.T.C.'s Agreement with Poland	1923-24
566	Iron Ore Export	1924—25
567	Motor-cycles and Scooters	1926—29
568	Woollen Industry	1929—31
569	F.I.C.C.I. Conference	1931-32
570	Elections in Nagaland	1932—34
571	Productivity Council	1934—38
572	Steel Production	1938—41
575	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1941—43
576	Development Programmes of Orissa	1943—44
577	Supply of Cotton by U.S.A.	1944-45
578	Rourkela Steel Plant	1945—47
581	Foreign Private Capital in Steel Industry	1947
584	Office of Iron and Steel Controller, Calcutta	1948
585	Import of Textile Machinery	1949-50
Short Notice Question Nos.		
9	Delhi Milk Scheme	1950—53
	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	1953—75
Starred Questions No.		
573	Goa Iron Ore Mines	1953-54
574	Manufacture of Cheap Cameras	1954

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५७९	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात . .	१६५४-५५
५८०	लौह अयस्क का निर्यात-व्यापार .	१६५५
५८३	पटसन आयुक्त का दौरा . . .	१६५५—५७

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११२४	कोयला खनन उद्योग . .	१६५७-५८
११२५	आन्ध्र प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड .	१६५८
११२६	मूंगफली का उत्पादन	१६५८
११२७	उड़ीसा में सीमेन्ट के कारखाने	१६५८
११२८	उड़ीसा में कोयले की मांग	१६५९
११२९	बालासोर (उड़ीसा) मे "टिलस" का निर्माण . .	१६५९
११३०	प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार संगठन (गैट) के साथ सूती कपड़ा करार . .	१६६०
११३१	केन्द्रीय नारियल जटा अनुसन्धान संस्था	१६६०
११३२	केरल के लिए कच्चा लोहा और रद्दी लोहा . .	१६६१
११३३	होजियरी उद्योग	१६६१—६३
११३४	रांची में भारी मशीनी औजार परियोजना तथा ढलाई और गढ़ाई का कारखाना	१६६३
११३५	गोला-बारूद का आयात	१६६३-६४
११३६	उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप	१६६४
११३७	प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार .	१६६४
११३८	भारत के भूतत्वीय परिमाप का पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय	१६६५
११३९	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय की मंत्रणा समिति	१६६५
११४०	हल्दिया बन्दरगाह में इस्पात कारखाना .	१६६५-६६
११४१	कच्चे पटसन की खरीद .	१६६६
११४२	पंजाब में लौह अयस्क	१६६७
११४३	मिर्जापुर में सीमेन्ट का कारखाना . . .	१६६७
११४४	शिशु खाद्य उत्पादन . . .	१६६७
११४५	खादी कातने वाले . . .	१६६८
११४६	मोटरगाड़ी निर्माण के लक्ष्य .	१६६८

WRITTEN ANSWERS AND QUESTIONS

Starred Question Nos.	Subject	PAGE
579	Cloth Export to Britain	1954-55
580	Export Trade in Iron Ore	1955
583	Jute Commissioner's Tour	1955—57
Unstarred Question Nos.		
1124	Coal Mining Industry	1957-58
1125	Andhra Pradesh Khadi and Village Industries Board	1958
1126	Groundnut Production	1958
1127	Cement Factories in Orissa	1958
1128	Demand for Coal in Orissa	1959
1129	Manufacture of Tillers at Balasore (Orissa)	1959
1130	Cotton Textiles Arrangement with G.A.T.T.	1960
1131	Central Coir Research Institute	1960
1132	Pig Iron and Scrap for Kerala	1961
1133	Hosiery Industry	1961—63
1134	Heavy Machine Tool Project and Foundry Forge Plant at Ranchi	1963
1135	Import of Ammunition	1963-64
1136	Mineral Deposits in U.P.	1964
1137	G.A.T.T.	1964
1138	Western Regional Office in Geological Survey of India	1965
1139	Advisory Committees in the Ministry of S.M. & H. E.	1965
1140	Steel Plant at Haldia Port	1965-66
1141	Purchase of Raw Jute	1966
1142	Iron Ore in Punjab	1967
1143	Cement Factory in Mirzapur	1967
1144	Baby Food Production	1967
1145	Khadi Spinners	1968
1146	Automobile Targets	1968

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

मतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११४७	मिट्टी के बर्तनों का निर्यात	१९६८–६९
११४८	क्रयविक्रय सम्बन्धी कानून	१९६९
११४९	पंजाब के लिए कच्चा लोहा	१९६९
११५०	चौथी योजना में सीमेंट का उत्पादन .	१९६९–७०
११५१	दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात .	१९७०
११५२	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारियों के लिए विद्यालय	१९७०–७१
११५३	आन्ध्र प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड .	१९७१
११५४	बादली औद्योगिक बस्ती	१९७१–७२
११५५	वातानुकूलन उद्योग	१९७२
११५६	महाराष्ट्र मे लौह-अयस्क निक्षेप	१९७२–७३
११५७	आन्ध्र प्रदेश में ऊनी तथा खादी कपड़े का उत्पादन	१९७३
११५८	आयात-निर्यात परामर्शदात्री परिषद् की बैठक	१९७३–७४
११५९	फोटोग्राफी के कागज का आयात	१९७४
११६०	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	१९७४
११६१	विदेशों में सप्लाई मिशन	१९७५
११६२	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर द्वारा आयात	१९७५
११६३	समवायों का प्रबन्ध और नियंत्रण	१९७५
	आठवां प्रतिवेदन	

सदस्य की रिहाई १९७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९७६–७७

सभा को बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . . १९७७

प्राक्कलन समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन . . १९७७

याचिका का उपस्थापन १९७८

सभा का कार्य १९७८–७९

अनुदानों की मांगें १९७९–९०

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय

डा० रानेन सेन १९७९–८०

श्री प० हू० भील १९८०–८१

श्री ओझा १९८१–८२

श्री लीलाधर कटकी १९८२–८३

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd*

Unstarred Question Nos.	Subject	PAGE
1147	Export of Ceramics	1968-69
1148	Law on Hire Purchase	1969
1149	Pig Iron for Punjab	1969
1150	Cement Production in Fourth Plan	1969-70
1151	Export of Handicrafts	1970
1152	Vidyalayas for Khadi and Village Industries Commission Officers	1970-71
1153	Andhra Pradesh Khadi and Village Industries Board	1971
1154	Badli Industrial Estate	1971-72
1155	Air-Conditioning Industry	1972
1156	Iron Ore Deposits in Maharashtra	1972-73
1157	Production of Woollen and Khadi Cloth in A.P.	1973
1158	Export-Import Advisory Council Meeting	1973-74
1159	Import of Photographic Papers	1974
1160	Newsprint Factory in Uttar Pradesh	1974
1161	Supply Missions Abroad	1975
1162	Import by Delhi State Central Co-operative Store	1975
1163	Management and Control of Companies	1975

Release of members 1976

PAPERS LAID ON THE TABLE 1976-77

Committee on Absence of Members from the Sittings of the House— 1977

Estimates Committee 1977

Forty-sixth Report . . . 1977

Presentation of Petition 1978

Business of the House 1978-79

Demands for Grants 1979-80

Ministry of Petroleum and Chemicals

Dr. Ranen Sen 1979-80

Shri P.H. Bheel 1980-81

Shri Oza 1981-82

Shri Liladhar Kotoki 1982-83

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय—जारी

विषय	पृष्ठ
श्री र० बरुआ . . .	१६८४–८५
श्री ल० ना० भंजदेव .	१६८५
श्री मणियंगाडन	१६८५–८६
डा० मा० श्री० अणे . .	१६८६–८८
श्री अलगेशन .	१६८८–६०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन	१६६०

विधेयक पुरस्थापित

(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ८० और १७१ का संशोधन)—[श्री च० का० भट्टाचार्य का] . . .	१६६०
(२) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा ३, ११ आदि का संशोधन)—[श्री सुबोध हंसदा का]	१६६१
(३) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (धारा २४ का संशोधन)—(डा०भा०सिंह का)	१६६१

सरकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद सेवा पर प्रतिबन्ध) विधेयक—

[श्री रा० गि० दुबे का] .	१६६२–६७
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री रा० गि० दुबे	१६६२–६३
डा० रानेन सेन . . .	१६६३
श्री रंगा	१६६३
श्री अ० शं० आल्वा . . .	१६६३–६४
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . .	१६६४
श्री ओझा	१६६४–६५
श्री गौरी शंकर कक्कड़ . .	१६६५
श्री ओंकार लाल बेरवा .	१६६५
श्री सरजू पाण्डेय . .	१६६५–६६
श्री हाथी	१६६६–६६

Subject	PAGE
Ministry of Petroleum and Chemicals—*contd.*	
Shri R. Barua	1984—85
Shri L.N. Bhanj Deo	1985
Shri Maniyangadan	1985—86
Dr. M.S. Aney	1986—88
Shri Alagesan	1988—90
Committee on Private Member's Bills and Resolutions	
Thirty-sixth Report	1990
Bills introduced	
1. Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of Articles* 80 *and* 171) by Shri C.K. Bhattacharyya	1990
2. Land Acquisition (Amendment) Bill, (*Amendment Sections* 3, 11, *etc.*) *by* Shri Subodh Hansda	1991
3. Advocates (Amendment) Bill (*Amendment of Section* 24) *by* Shri Chandrabhan Singh	1991
Government Servants (Ban on Service After Retirement) Bill by Shri R.G. Dubey	1992—97
Motion to consider	
Shri R.G. Dubey	1992—93
Dr. Ranen Sen	1993
Shri Ranga	1993
Shri A.S. Alva	1993—94
Dr. L.M. Singhvi	1994
Shri Oza	1994-95
Shri Gauri Shankar Kakkar	1995
Shri Onkar Lal Berwa	1995
Shri Sarjoo Pandey	1995—96
Shri Hathi	1996—97

विषय	पृष्ठ
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का]	१९९७—२०००
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री दी० चं० शर्मा	१९९७–९८
डा० लक्मीमल्ल सिंघवी	१९९८
श्री गौरी शंकर कक्कड़	१९९८–९९
श्री हाथी	१९९९—२०००
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ८४ तथा १७३ का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]	२०००–०१
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री हरि विष्णु कामत	२०००–०१

Commissions of Inquiry (Amendment) Bill, (*Amendment of Section 6) by* Shri D.C. Sharma . . . . 1997—2000

Motion to consider

Shri D.C. Sharma . . . . . . 1997—98

Dr. L.M. Singhvi 1998

Shri Gauri Shankar Kakkar . . 1998—99

Shri Hathi . . . . . 1999—2000

Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of articles* 84 *and* 173) *by* Shri Hari Vishnu Kamath . . . . 2000—01

Motion to consider

Shri Hari Vishnu Kamath . . 2000—01

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English /Hindi]

44 (Ai) LS—1.

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, १३ मार्च, १९६४/२३ फाल्गुन, १८८५ (शक)
Friday, March 13, 1964/Phalguna 23, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खनिज तथा धातु व्यापार निगम का पोलैंड के साथ करार

\+
*५१२. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंधे :
श्री भी० प्र० यादव
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पोलैण्ड की सरकार के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). पोलैण्ड को लौह अयस्क देने के लिए १९६४ के करार का अन्तिम निर्णय न होने तक पोलैण्ड का उपक्रम जनवरी, १९६४ से अप्रैल, १९६४ तक ६५/६३ श्रेणी के लोहे को एक लाख टन की मात्रा खरीदने के लिए सहमत हो गया है। लौह अयस्क के संभरण करने का करार भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पोलैंड के मेसर्स स्टेलएक्सबोर्ड के साथ किया है। लोह अयस्क के संभरण सम्बन्धी

करार का अन्तिम निर्णय करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एक शिष्ट मंडल पोलैण्ड जा रहा है ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस करार में कोई और वस्तुयें भी हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जी हां, इसमें बहुत सी वस्तुयें हैं । यह तो केवल एक वस्तु है : इससे कच्चा लोहा, इस्पात, लोह-मिश्र धातु तथा अलोह धातुयें हैं ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या यह वस्तु-विनिमय करार है और क्या बदले में हमें पोलैण्ड से अन्य वस्तुयें मिलेंगी ?

श्री मनुभाई शाह यह वस्तु-विनिमय करार नहीं है बल्कि रुपया भुगतान करार है । व्यापार संलेख के अन्तर्गत जिस किसी चीज की अनुमति होगी वह लौह अयस्क के निर्यात के बदले पोलैण्ड से आयात की जायेगी ?

Shri Yashpal Singh : Is there any such provision in this agreement that Poland will not supply those items which are sent from India to any country who is our enemy?

Shri Manubhai Shah : There is no question of any enemy country in it. They cannot supply to anybody else, they can only themselves consume.

श्री महेश्वर नायक : क्या जापान की तुलना में पोलैण्ड के साथ लौह-अयस्क के निर्यात की शर्तें अधिक आसान हैं ?

श्री मनुभाई शाह : भारत से दूरी पर निर्भर करते हुए वे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर होती हैं ।

लौह अयस्क का निर्यात

\+

*५६६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क का सारा निर्यात परादीप पत्तन से किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्यात के लिये कलकत्ता पत्तन को छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि उड़ीसा क्षेत्र से होने वाला लौह अयस्क का सारा निर्यात परादीप पत्तन से किया जाएगा ?

श्री मनुभाई शाह: इस बात पर कुछ भ्रान्ति है। सरकार परादीप को प्रमुख पत्तन में इसलिए विकसित करना चाहती है ताकि भविष्य में अधिक निर्यात के लिए उड़ीसा में टोम्का-डटेरी तथा तालचेर लौह निक्षेपों का विकास किया जाये। वर्तमान स्थिति यह है कि बड़े पोत यहां नहीं आ सकते और यहां से केवल थोड़ी मात्रा में निर्यात होता है। पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यात के लिए हल्दिया, कलकत्ता और परादीप का प्रयोग होता रहेगा।

श्री सुबोध हंसदा : क्या भविष्य में हल्दिया पत्तन से लौह अयस्क निर्यात करने की कोई योजना है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां ?

Shri M.L. Dwivedi : May I know whether handling of cargo becomes difficult at Calcutta port due to silting? If so, how will this difficulty be overcome?

Shri Manubhai Shah : That causes great difficulty and the Transport Ministry is trying to remove it by dredging.

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या यह सच है कि इस वर्ष पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क का निर्यात कम हो गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इसे बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मनुभाई शाह : जी नहीं, कोई कमी नहीं हुई है।

श्री रंगा : क्या विजग पर बहुत अधिक भार डालने की बजाय लौह अयस्क के निर्यात के लिए मसूलीपटम् तथा काकिनाडा पत्तनों का विकास करने के लिए कोई विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : लौह अयस्क के निर्यात के लिए पत्तनों के विकास की सामान्य नीति यह है कि भारत के छः प्रमुख पत्तनों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये क्योंकि, जैसा कि प्रतिष्ठित सभा और माननीय सदस्य को ज्ञात है, लौह अयस्क की निर्यात आय का एक बहुत बड़ा भाग परिवहन तथा प्रबन्ध लागत है। जहां कहीं काकिनाडा, मसूलीपटम् या कारबार आदि जैसे पत्तन हैं हम, निर्यात के लिए न माध्यमिक या छोटे पत्तनों के बारे में वर्तमान सुविधाओं तथा राज्यों के सामान्य विकास कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं।

श्री ब० कु० दास : इस बात को देखते हुए कि अभी तक हल्दिया का विकास नहीं किया गया है, इस समय कलकत्ता पत्तन से कितने प्रतिशत निर्यात होता है ? परादीप से कितना निर्यात होता है ?

श्री मनुभाई शाह : इस बात की मैंने पहले ही व्याख्या कर दी थी।

मोटर साइकिल और स्कूटर

+

*१६७. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६३ के मोटर साइकिल और स्कूटर के उत्पादन से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या १५८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखानों में किस समय उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है और क्या उसके लिये अपेक्षित सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा आवंटित कर दी गई है ;

(ख) क्या नये कारखाने खोलने के लिये कुछ आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, यदि हां, तो कितने और कितने मामलों में, विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि स्कूटरों और मोटर साइकिलों के मूल्य बढ़ते रहे हैं और यदि हां, तो इनके वर्तमान मूल्य इनके तीन वर्ष पहिले के मूल्यों की तुलना में कैसे है; और

(घ) देश में तैयार की जाने वाली मोटर साइकिलों और स्कूटरों की उत्पादन लागत घटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मोपेड के निर्माण के लिए एक कारखाना इस वर्ष के मध्य में नियमित उत्पादन आरंभ कर देगा और दूसरे में वर्ष के अन्त तक उत्पादन आरंभ होने की संभावना है । पूंजी वस्तुओं तथा कच्चे माल के लिए अपेक्षित आवश्यक विदेशी मुद्रा दे दी गई है ।

(ख) नये कारखानों की स्थापना के लिए कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है ।

(ग) स्कूटरों और मोटर साइकिलों के आज के तथा ३ वर्ष पहले के कारखाने के फुटकर विक्रय मूल्य निम्नलिखित हैं:—

गाड़ी का नाम	**१९६१ में मूल्य** (रुपये)	**वर्तमान मूल्य** (रुपये)
लेम्बरेटा स्कूटर . .	१८००.००	२०२७.५४
वेस्पा स्कूटर . .	१९६४.००	२०४१.३५
एन्फील्ड (फेन्टाबुल्स) स्कूटर (१९६२ में चलाया गया)	२५७५.००	२७७२.००

गाड़ी का नाम	१९६१ में मूल्य (रुपये)	वर्तमान मूल्य (रुपये)
एन्फ़ील्ड मोटर साइकिल		
३५० सी० सी०	३७३३.००	३९९५.००
१५० सी० सी०	२०७८.००	२२४०.००
राजदूत मोटर साइकिल .	२२००.००	२२००.००
(१९६२ में चलाया गया)		
जावा मोटर साइकिल		
३५० सी० सी०	२५८०.००	२५८०.००
१५० सी० सी०	१२२४.००	११४३.००

(घ) मूल्यों में कमी तभी हो सकती है यदि प्रत्येक कारखाने के उत्पादन में काफी वृद्धि की जाये। इसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नये कारखानों को लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया है तथा यदि अधिक क्षमता के लिये लाइसेंस देने की आवश्यकता पड़ी तो वर्तमान कारखानों के प्रसार को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

श्री रामचन्द्र उलाका : कृपया विवरण का पैरा (क) देखिये। इन उत्पादक कारखानों की वास्तविक उत्पादन क्षमता क्या है। तथा उन कारखानों की क्षमता क्या है जो अब उत्पादन की अवस्था में पहुंच चुके हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं ने बता दिया है कि कौन से कारखाने उत्पादन की अवस्था में पहुंच चुके हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्षमता क्या है वह यह जानना चाहते हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि यह जानकारी मेरे पास नहीं है। परन्तु पहले एक अवसर पर यह जानकारी दी जा चुकी है।

श्री रामचन्द्र उलाका : उत्पादन आरम्भ करने के लिये सरकार कितना समय देती है ? क्या किसी उत्पादक को इस कारण अपना लाइसेंस लौटाना पड़ा है क्योंकि वह इस समय में उत्पादन आरम्भ न कर सका।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, कई लाइसेंस रद्द करने पड़े क्योंकि उन्हें कार्यान्वित करने के लिये उन्होंने पर्याप्त उपाय नहीं किये। उत्पादन आरम्भ करने में कोई दो वर्ष लगते हैं।

Shri Brij Bihari Mehrotra : Will the hon. Minister be pleased to state whether these scooters and motor-cycles would be manufactured here completely or some of their components would have to be imported?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सौ प्रतिशत तो नहीं। लेम्बरेटा—८१ प्रतिशत देशी सामान से बनेगा; वेस्पां, ९९ प्रतिशत, एन्फील्ड, ७५ प्रतिशत। आंकड़े लगभग यही हैं।

श्री रा० गि० दुबे : वास्तविक उत्पादन लागत क्या है क्योंकि देश में ऐसा समझा जाता है कि मूल्य बहुत अधिक हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस पर उन्हें लगभग १० प्रतिशत की गुंजायश मिलती है, उस आधार पर मूल्य निश्चित किया जाता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : लेम्बरेटा और वेस्पा के मूल्य बढ़ गये हैं । परन्तु राजदूत और जावा मोटर साइकिलों के नहीं बढ़े हैं । इसका क्या कारण है । क्या यह सच है कि वेस्पा और लेम्ब्रेटा की मांग अधिक होने के कारण व्यापारियों ने मूल्य बढ़ा दिये हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : तथ्य यह है कि एक लागत लेखापाल उत्पादन लागत की जांच करता है और उस आधार पर इसे किया जाता है । मुख्य वृद्धि उत्पादन तथा सीमा शुल्कों के बढ़ जाने के कारण हुई है ।

Shri M. L. Devivedi : In a recent statement the hon. Minister had said that new units are being set up for small cars and scooters. May I know whether in view of the fact that Lambretta and scooters are being sold in the black market at an excessive charge of one thousand rupees, is Government taking steps to increase the capacity of these units in order to meet the demand of the people ?

लेम्बरेटा, वेस्पा आदि के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में कितना समय लगेगा ताकि लोगों की मांग पूरी की जा सके ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक लेम्बरेटा और वेस्पा स्कूटरों का सम्बन्ध है, हम पहले ही एक प्रसार कार्यक्रम बना चुके हैं और वे इस पर काम कर रहे हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : किस सीमा तक ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ठीक ठीक आंकड़े तो मैं नहीं दे सकता । चौथी योजना में हम आगे जांच करेंगे और देखेंगे कि और कितना प्रसार हो सकता है ।

श्री भागवत झा आजाद : नये कारखानों के लिये लाइसेंस बन्द कर दिये गए हैं । परन्तु मांग है । माननीय मंत्री वर्तमान निर्माण कारखानों से किस तरह अपना उत्पादन बढ़ाने की आशा रखते हैं । मूल्य क्योंकि इतने ऊंचे हैं, क्या सरकार उन्हें प्रसार करने पर बाध्य करेगी या नये कारखानों को अनुमति देगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि उन्हें अवसर मात्र दे दिया जाए तो हर कोई प्रसार के लिये तैयार है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जैसा कि विवरण से स्पष्ट है मूल्य तब तक कम नहीं हो सकते जब तक एक विशेष कारखाने में तैयार की जाने वाली संख्या में काफी वृद्धि न की जाए । क्या मैं जान सकता हूं कि कम मूल्य करने के लिये कम से कम कितना उत्पादन होना चाहिये और वह मूल्य कितना होगा ? जैसा कि आप छोटी कार के बारे में कर रहे हैं । क्या इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करने या सरकारी क्षेत्र में लाने के लिये आप कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन्हें इकट्ठा करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मेरा अपना विचार यह है, यदि हम चौथी योजना में प्रसार पर बल दें तो इस क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से अच्छा उत्पादन कर सकेंगे । प्रति एकक संख्या लगभग ३०,००० से ५०,००० है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मूल्य क्या होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : तत्काल ही मैं नहीं बता सकता । मूल्य में कुछ कमी होनी चाहिये ।

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister had given an assurance in this hon. House that their price would come down to Rs. 1,500. When will it come to that and we be self-sufficient in this regard?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि निकट भविष्य में हम मूल्य को १५०० रुपये तक ले आयेंगे । आत्मनिर्भरता भी इसी से जुड़ी हुई है और हम प्रयत्न करेंगे कि चौथी योजना में मांग को पूरा करने के लिये समुचित प्रसार हो ।

Shri Kachhavaiya : There is a great demand for scooters in the country. When will that demand be fulfilled and whether there will be a corresponding decrease in the prices?

अध्यक्ष महोदय : केवल दूसरे भाग का उत्तर दिया जाए । पहले भाग का उत्तर हो चुका है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या स्कूटरों के अधिक उत्पादन होने से मूल्य भी कम हो जायेंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, वे तो कम होंगे ही ।

ऊनी कपड़ा उद्योग

+

*५६८. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी कपड़े के उद्योग के छोटे निर्माताओं को कच्चे माल की कमी के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों को बन्द होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) और (ख). आपातकाल और उस के कारण सारे ऊनी वस्त्र उद्योग को रक्षा संबंधी उत्पादन में लगा देने के फलस्वरूप कच्चे माल का समूचा अभाव हो गया था और इस से छोटे पैमाने के निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं दोनों को कठिनाई हो गई है । ऊनी धागे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने और प्रतिरक्षा सम्बन्धी जरूरतों के काफी मात्रा में पूरा हो जाने के बाद आशा है कि स्थिति काफी सुधर जाएगी । इस सारे प्रश्न पर एक वितरण समिति विचार कर रही है ।

श्री महेश्वर नायक : आयातित धागे की वर्तमान कमी को देखते हुए क्या इसका आयात करने का विचार है ताकि इस आयात से तैयार वस्तुओं के निर्यात के लिये प्रोत्साहन मिल सके ?

श्री कानूनगो : जी नहीं। आयात का हमारा विचार नहीं है। आयात हम कर नहीं सकते।

श्री महेश्वर नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि कच्ची ऊन के निर्यात की हमारी नीति छोटे पैमाने के वर्तमान उद्योगों को माल न मिलने के लिये कहां तक उत्तरदायी है।

श्री कानूनगो : निर्यात को सदा आन्तरिक आवश्यकताओं पर पूर्ववर्तिता दी जायगी।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि कमी देशी कच्चे माल की है या आयातित माल की ?

श्री कानूनगो : आयानित।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही के वर्षों में, पिछले दो या तीन वर्षों में किसी वर्तमान ऊनी कारखाने को कालीन बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है और यदि हां, तो ऐसे कारखानों की संख्या क्या है और यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री कानूनगो : ऊनी कपड़े के कारखाने कालीन नहीं बुनते। उन्हें कालीन का धागा बनाने का लाइसेंस दिया जाता है; वे धागा बेचते हैं और कालीन बनाने वाले कालीन बनाते हैं।

श्री कपूरसिंह : हमारा ऊन का उत्पादन हमारी कुल आवश्यकताओं से कितना कम है तथा हम मुख्यतः कहां से आयात करते हैं ?

श्री कानूनगो : वुर्सटेड कताई के लिए ऊन का हमारा घरेलू उत्पादन काफी नहीं है। कालीनों के लिये काफी है और वुर्सटेड कताई आयातित ऊन से करनी पड़ती है जो १० करोड़ रुपये की हुआ करती थी। अब यह ५ करोड़ रुपये की रह गई है।

श्री कपूर सिंह : अधिकतर आयात कहां से होता है।

श्री कानूनगो : अधिकतर आस्ट्रेलिया से, सारा संसार वहीं से करता है।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know on what basis quota is allotted to the big mill-owners and small-scale industries?

Shri Kanungo : It is given on the basis of their past consumption.

डा० रानेन सेन : पहले हम तिब्बत से कुछ कच्ची ऊन मंगवाया करते थे ? वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री कानूनगो : सब बन्द हो गया है।

डा० मा० श्री अणे : इस प्रश्न के उत्तर में कि आयात मुख्यतः कहां से होता है, माननीय मंत्री ने कहा, "विश्व स्रोत"। यह कोई उत्तर नहीं है। वह देश का नाम क्यों नहीं बताते।

अध्यक्ष महोदय : साफ है कि माननीय सदस्य ने पूरा उत्तर नहीं सुना है। उन्हों ने कहा था कि आस्ट्रेलिया से जो कि विश्व स्रोत है।

श्री हेम राज : क्या सरकार को लाहौल और स्पीति के कुछ ऐसे व्यापारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिन के पास कुछ माल है जिस का अभी निबटारा नहीं हुआ और क्या सरकार ने उन की सहायता के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री कानूनगो : सभी तरफ अभाव है। उन से हमें कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

श्री पी० रा० रामकृष्णन : ऊन के अभाव को देखते हुए और प्लास्टिक से संश्लिष्ट उन के निर्माण के कुछ प्रक्रियाओं को क्योंकि परिपूर्ण कर लिया गया है, क्या सरकार ने इस संशलिष्ट ऊन के उत्पादन के लिये किसी कारखाने को लाइसेंस दिया है ?

श्री कानूनगो : बहुत से संश्लिष्ट हैं। परन्तु मेरी राय है कि ऊन जितना अच्छा कोई संश्लिष्ट नहीं है। इस में सन्देह नहीं कि हम मनुष्य द्वारा बनाये गये रेशों का उत्पादन करना चाहते हैं। परन्तु इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ का सम्मेलन

+

*५६६. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के पूर्वी प्रदेशीय सम्मेलन ने हाल ही में देश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों की प्रगति की गति में असमानता पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). सरकार को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ से इस विषय पर कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, संघ द्वारा जारी की गई एक प्रैस विज्ञप्ति से पता चला है कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद पूर्वी क्षेत्र में असमान औद्योगिक विकास का उल्लेख हुआ था। जहां तक सरकार को ज्ञात है, देश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में प्रगति की गति में कोई तुलना नहीं की गई थी।

देश के संतुलित प्रादेशिक विकास के बारे में तथाकथित ब्यौरा "भारत के विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विकास" नामक पुस्तिका में उपलब्ध है जो योजना आयोग द्वारा अगस्त १९६२ में प्रकाशित की गयी थी। और जिस की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में मिल सकती हैं।

Shri Yashpal Singh : When will more factories be opened in the eastern region and the present disparity between the eastern and western regions removed ?

श्री कानूनगो : इस विवरण से पता चलेगा कि यह चलती रहने वाली क्रिया है।

Shri Yashpal Singh : The statement does not make out as to how much disparity is still persisting proportionately.

श्री कानूनगो : यह बड़ा कठिन है। विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य योजना आयोग द्वारा प्रकाशित "भारत के विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विकास" नामक पत्र पढ़ें जहां इस विषय पर पूरी चर्चा की गई है।

श्री ब्रजराज सिंह : अनुपाती असमानता के बारे में उन्हों ने उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने उस पत्र का हवाला दिया है। यदि किसी प्रकाशित दस्तावेज में यह दिया हुआ है तो काफी है।

श्री कपूर सिंह : इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति की गति में असमानता के मूल कारण क्या हैं ?

श्री कानूनगो : अधिकतर ऐतिहासिक हैं।

श्री भागवत झा आजाद : जहां तक मुझे याद है, "भारत के विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विकास" नामक पुस्तिका में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में प्रगति की गति में असामनाता होने के बारे में सरकार की धारणा क्या है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस पुस्तिका के बावजूद सरकार ने इस समस्या का अध्ययन करने के लिये कोई प्रयास किया है कि पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्रों के संसाधनों का कहां तक अधिक अच्छा विकास हो सकता है ?

श्री कानूनगो : इसका निर्धारण करना बड़ा कठिन है। सच तो यह है कि भारत के पूर्वी भाग में कतिपय प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और सरकार उन का उपयोग करने के लिये लगातार प्रयास करती रहती है।

श्री रा० गि० दुबे : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार या योजना आयोग के पास यह निर्धारित करने की कोई व्यवस्था है कि इन क्षेत्रों का संतुलित विकास हो रहा है ?

श्री कानूनगो : जी हां, यह योजना आयोग का ही काम है।

Elections in Nagaland

*570. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) Whether any complaints have been received regarding the conduct of recent General Election in Nagaland ;

(b) if so, from whom and the nature thereof ; and

(c) whether due to certain reasons elections were not held in certain areas ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). नागालेंड में हाल ही में हुए सामान्य निर्वाचनों के वास्तविक संचालन के बारे में कोई शिकायत निर्वाचन आयोग को नहीं मिली। किन्तु दलों की बैठकें रोकने, नामनिर्देशन पत्रों को विधिविरुद्धतया रद्द करने, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, निर्वाचन अधिकर्ताओं को भगा ले जाने, मतदान क्षेत्रों में सार्वजनिक सभाएं करने जैसी कुछ शिकायतें आयोग को मिली हैं।

(ग) यह सही नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में निर्वाचन नहीं हुए।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether government have made any efforts to collect the facts regarding press reports to the effect that Pakistan tried to interfere in the elections in Nagaland just as they had earlier instigated the Nagahostiles ?

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : जी नहीं, सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether during elections in Nagaland certain supporters of Phizo caused disturbances at many places resulting in injuries to several persons, and if so, the details thereof ?

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : जी, नहीं ।

श्रीमती रेणूका बड़कटकी : क्या मैं जान सकती हूं कि तुएनसांग क्षेत्र में निर्वाजन क्यों नहीं हुए और वहां से सदस्यों को मनोनीत किया गया ?

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : निर्वाचन नागालैंड अधिनियम के अन्तर्गत हुए । प्रादेशिक परिषद् से अप्रत्यक्ष चुनाव होता है । तुएनसांग जिले से ६ सदस्य निर्वाचित हुए ।

श्री कपूर सिंह : क्या इन निर्वाचनों में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के आरोप लगाये गए हैं ?

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : मतदान की तिथियों के बीच ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी। नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि से पूर्व कुछ शिकायतें आयी थीं। मतदान की तिथि से पहले भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वहां एक सप्ताह ठहरे। राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने इस बारे में व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और पता लगा कि आरोप निराधार है ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान जी उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन निर्वाचनों में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के आरोप लगाये गए हैं ?

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : मैंने बताया है कि बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की तो बात ही क्या ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आरोप लगाये गये हैं।

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : आरोप लगाये गये हैं और पता लगा कि आरोप सच नहीं हैं।

श्री रंगा : क्या चुनाव सम्बन्धी कोई दावे हुए ?

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : अभी तक कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गयी है। ३५ निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में चुनाव याचिका दायर करने की तिथि समाप्त हो गयी है और केवल ५ निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में अन्तिम तिथि १४-३-१९६४ हैं ।

Shri Kachhavaiya : Is it a fact that during this election certain persons were kidnapped and the persons responsible for all this were no others than the supporters of Phizo ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या वे लोग, जिन्होंने कुछ मतदाताओं का अपहरण किया, श्री फिजो के समर्थक थे ?

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : श्री फिजो के समर्थकों द्वारा नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा अपहरण किये जाने के आरोप लगाये गए ; परन्तु यह पता लगा कि ये आरोप निराधार हैं ?

उत्पादकता परिषद

*५७१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादकता परिषद् के कार्यकलापों के प्रभाव का अनुमान लगाया है ;

(ख) १९६४–६५ के लिये परिषद् का क्या कार्यक्रम है ; और

(ग) परिषद् ने अब तक कितना रुपया व्यय किया है और उसकी आय के क्या साधन हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सरकार ने उत्पादकता परिषद् के कार्यकरण का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया है परन्तु परिषद् स्वयं समय समय पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करती रही है ।

(ख) वर्ष १९६४–६५ में यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ३५० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू करेगी जिनमें ६,००० व्यक्ति भाग लेंगे ।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा वर्ष १९६४-६५ में आयोजित कुछ प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार है (इनमें स्थानीय उत्पादक के कार्यक्रम शामिल नहीं हैं) :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तिथि
(क) औद्योगिक इंजीनियरी .	मद्रास	जून, ६४ से नवम्बर, ६४
(ख) उच्च उत्पादकता के लिये प्रबन्ध में प्रशिक्षण . .	श्रीनगर	मई/जून, १९६४
(ग) शीघ्र रिटायर होने वाले सैनिकों के लिये विशेष औद्योगिक प्रबन्ध कार्यक्रम . . .	दिल्ली	मार्च/अप्रैल, १९६४
(घ) और (ङ) बेस रिपेयर डिपो, भारतीय वायु सेना, कानपुर के लिये समेकित कार्यक्रम और आलबीन मेटल वर्क्स, हैदराबाद . .	कानपुर/ हैदराबाद	मई/जून, १९६४
(च) एशियाई उत्पादकता संघ द्वारा आयोजित प्रमुख प्रबन्ध कार्यक्रम		सितम्बर/अक्तूबर, १९६४
(छ) चार गोष्ठियां . .		जनवरी १९६५
(ज) भवन उद्योग के लिये उत्पादकता तरीके में प्रशिक्षण . .	दिल्ली	अप्रैल/मई, १९६४

२. समवाय के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रम :

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त पृथक पृथक समवायों में केवल उनके अपने कर्मचारियों के लिये समबाय के भीतर कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। वर्ष १९६४–६५ में स्थानीय उत्पादकता परिषदों के सहयोग से विभिन्न विषयों में ऐसे पचास कार्यक्रमों का आयोजन है।

३. समेकित कार्यक्रमः राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने योजना बनाई है कि वर्ष १९६४–६५ में छः समेकित कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। समेकित कार्यक्रम में एक संगठन के सभी प्रमुख व्यक्तियों के लिये अल्प पाठ्यक्रम माला होती है। इन अल्प पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विशेषज्ञ तैयार करना नहीं है बल्कि मौजूदा व्यक्तियों को उनके अपने कार्य-क्षेत्र में कुशल कार्य के आधुनिक तरीके, व्यवहार और प्रक्रिया सिखलाना और उनके कार्य को अधिक उत्पादक बनाना है।

४. प्रशिक्षण–मैन्युअल : वर्ष १९६४-६५ में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण मैन्युअल तैयार करने की योजना बनाई है :

१. किस्म नियंत्रण
२. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
३. लागत और आयव्ययक नियंत्रण
४. औद्योगिक सुरक्षा
५. प्रबन्ध में सुधार
६. विपणन और विक्रय
७. उत्पादन इंजीनियरिंग
८. कपड़ा उद्योग में कार्य-अध्ययन
९. भर्ती और चयन
१०. पद मूल्यांकन
११. कार्य का नमूना
१२. पर्यवेक्षण में सुधार
१३. कार्य-अध्ययन
१४. श्रमिकों के लिये उत्पादकता कार्यक्रम
१५. कार्यालय प्रबन्ध
१६. बातचीत और कठिनाइयां प्रक्रिया
१७. सामग्री प्रबन्ध
१८. औद्योगिक सम्बन्धों में व्यक्तिगत प्रबन्ध
१९. मानवीय सम्बन्ध ।

उपरोक्त प्रशिक्षण मैन्युअलों का राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् और स्थानीय उत्पादकता परिषदों और व्यावसायिक प्रशिषक्षण संगठनों में काम करने वाले अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षकों और उद्योगों के प्रक्षिण विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जायेगा।

५. गोष्ठियां और सम्मेलन : राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा वर्ष १९६४–६५ में स्थानीय उत्पादकता परिषदों और अन्य संगठनों के तत्वावधान में लगभग १२५ गोष्ठियों, सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन किया जायेगा। यह आशा की जाती है कि इनमें लगभग ८००० व्यक्ति भाग लेंगे। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने दिसम्बर, १९६४ में नई दिल्ली में प्रशिक्षण अधिकारियों के लिये एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का निश्चय किया है।

६. विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम : वर्ष १९६४–६५ के कार्यक्रमों में निम्नलिखित बातें होंगी।

(क) प्रबन्ध और उत्पादकता तरीकों में विदेशों में अग्रिम प्रशिक्षण इस समय इस कार्यक्रम के लिये अमरीका सहायता के अन्तर्गत २५ फेलोशिप दिए जाते हैं। अतिरिक्त निधि उपलब्ध होने पर विदेशों में प्रशिक्षण के लिये २५ फेलोशिप और दिए जा सकते हैं। कोलम्बो योजना और फ्रांस सरकार से भी इस कार्यक्रम के लिये सहायता की प्रार्थना की गयी है। यह आशा की जाती है कि विदेशों में प्रशिक्षण के लिये पश्चिम जर्मनी सरकार से भी सहायता मिल सकेगी।

(ख) **अध्ययन दलः** अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में उपलब्ध निधि पर निर्भर रहते हुए निम्नलिखित विषयों में दो अध्ययन दल भेजे जायेंगे।

(१) उत्पादकता में श्रमिकों का महत्व।

(२) उत्पादकता सम्बन्धी औद्योगिक इंजीनियरी।

७. उत्पादकता सर्वेक्षण और क्रियान्वयन सेवाः वर्ष १९६४–६५ में यह सेवा लगभग छोटे बड़े २० औद्योगिक उपक्रमों पर लागू होगी।

८. ईंधन कुशलता सेवा : भारत सरकार के कहने पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने उद्योग में ईंधन और गर्मी प्रयोग प्रक्रिया का पता लगाने प्रयोग के अच्छे तरीकों के बारे में उद्योग को परामर्श देने और इन तरीकों में प्रबन्धकों और तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक ईंधन कुशलता सेवा स्थापित की है। इस सेवा का औपचारिक रूप से १५ फरवरी, १९६४ को उद्घाटन किया गया था और शीघ्र ही यह बम्बई के औद्योगिक क्षेत्रों में लागू हो जायेगी।

(ग) ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में परिषद ने लगभग ७८ लाख रुपये व्यय किए हैं जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	धन राशि
१९५८–५९	४.८४ लाख
१९५९–६०	१२.८८ लाख
१९६०–६१	१६.३० लाख
१९६१–६२	२१.६९ लाख
१९६२–६३	२२.३५ लाख
कुल	७८.०६ लाख

परिषदके आय के साधन भारत सरकार से सहाय्य-अनुदान, इसके प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त रकम और उद्योग तथा औद्योगिक व्यक्तियों को दी गयी सेवा पर विशेष शुल्क की वसूली हैं। उपरोक्त धन राशि में विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम और उत्पादकता अध्ययन दलों पर, जिन पर विदेशी सरकारें धन लगाती हैं, परिषद द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं है क्योंकि इसके ब्योरे उपलब्ध नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विवरण में कहा गया है "सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कार्य का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया है।" क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस पर क्या पर्य-वेक्षण, नियंत्रण और निदेशन कर रही है जब कि वह परिषद पर २२ लाख रुपये से भी अधिक प्रति मास खर्च कर रही है और सरकार ने कोई मूल्यांकन क्यों नहीं किया ?

श्री कानूनगो : सरकार यह समझती है कि इसके कार्य का अभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता संगठन के कार्य को ही देखते हुए हम महसूस करते हैं कि इसका अभी किसी उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिये संगठन के कार्यक्रम सदैव सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और सरकार इन पर निगरानी भी रखती है।

श्री नाथ पाई : उत्तर बड़ा अच्छा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच है कि इस के अध्यक्ष बदले गये हैं। डा० लोकनाथन इस के अध्यक्ष थे, फिर वे निकल गये और श्री अय्यंगार अध्यक्ष बने। उन के निकलने पर फिर डा० लोकनाथन आ गये। यह परिवर्तन क्यों किया गया ? क्या इस का उत्पादकता परिषद के कारणकरण से कोई सम्बन्ध है ?

श्री कानूनगो : जी, नहीं। श्री अय्यंगार व्यक्तिगत और व्यापारिक कारणों से इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना चाहते थे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न यह था कि डा० लोकनाथन को क्यों निकाला गया और उनके स्थान पर श्री अय्यंगार को नियुक्त किया गया ?

श्री कानूनगो : डा० लोकनाथन दो वर्ष के लिए त्यागपत्र देना चाहते थे। मैंने उन्हें बने रहने को काफी कहा लेकिन वे त्यागपत्र देने पर अड़े रहे। अब फिर उन पर इसे स्वीकार करने के लिये दबाव डाला गया है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय को देश भर मे इस उत्पादकता परिषद के विभिन्न एककों के बारे मे कुछ रिपोर्टें मिलती रही हैं ? सारी उत्पादकता परिषद का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त, क्या देश भर मे फैले इस संगठन के विभिन्न एककों से, रिपोर्टें मिल रही हैं, जो केन्द्र से पृथक हैं : और यदि हां, तो क्या उन से यह सिद्ध होता है कि उत्पादकता परिषद मे एकक संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं ?

श्री कानूनगो : लगभग ४० स्थानीय उत्पादकता परिषदें हैं। अधिकांशतः उनके अपने संसाधन हैं और सरकार के पास उन की रिपोर्टें आती हैं।

डा० रानेन सेन : इस उत्पादकता परिषद की ओर से कई दल विदेश भेजे गये। हम समझते हैं कि इन दलों ने कुछ रिपोर्टें भेजीं। क्या सरकार ने इन रिपोर्टों का कोई मूल्यांकन किया है यदि हां, तो इस मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला ?

श्री कानूनगो : रिपोर्ट सदा पुस्तकालय में और कभी कभी सभापटल पर भी रखी जाती हैं। सरकार इसके परिणामों पर ग़ौर करती है और यह देखती है कि जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्या वे देश में स्थानीय कार्यक्रमों में यह प्रशिक्षण दे सकते हैं। जहां तक होता है वह ऐसा करते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को पता है कि उत्पादकता परिषद के विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशासन में बड़ी संख्या में शिकायतें हैं ; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि क्या इन विदेशी प्रशिक्षार्थियों के चयन का कोई निर्धारित तरीका है या यह चयन नितान्त व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है।

श्री कानूनगो : सरकार को अभी चयन और चयन के तरीकों के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : आप को इस मामले पर ध्यान देना चाहिये।

श्री कानूनगो : राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का अपना तरीका है जो उद्देश्यपूर्ण है।

श्री भागवत झा आजाद : क्योंकि सरकार ने प्रश्न के उत्तर में इस आरोप से इन्कार किया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि जो प्रशिक्षार्थी विदेश भेजे जाते हैं, उन में से अधिकांश बड़ उद्योगों से सम्बन्धित होते हैं जोकि स्वयं इस प्रशिक्षण के लिये व्यक्तियों को विदेश भेज सकते हैं ?

श्री कानूनगो : कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े उद्योगों से सम्बन्धित हैं परन्तु यह उस विषय के स्वरूप पर निर्भर है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरणतः कागज उद्योग को ही लीजिये जहां कि सभी उद्योग बड़े हैं और छोटा कोई भी नहीं है।

श्री भगवत झा आजाद : क्या इन की प्रतिशतता ७५ प्रतिशत नहीं है ?

श्री कानूनगो : जी, नहीं। यह ७५ प्रतिशत नहीं है। प्रतिवदन सभा पटल पर रखे जाते हैं और बाज दफा उन पर वाद-विवाद भी होता है, चाहे ऐसा हर वर्ष न होता हो।

Shri Achal Singh : How do the Productivity Councils utilise the Money they get ?

Shri Kanungo : The amount to the National Productivity council is paid by the Central Government. Local Productivitiy Councils are paid on the basis of 50-50. Fifty percent they collect from their own resources and the remaining fifty percent is paid by the National Productivity Council.

इस्पात उत्पादन

*५७२. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात के उत्पादन तथा इस के लिए आवश्यक कच्चे माल, जैसे लौह अयस्क, कोयला तथा चूने का पत्थर, की उपलब्धता के लक्ष्य बना लिये गये हैं ;

(ख) क्या एक 'कार्यदल' (टास्कफोर्स) नियुक्त करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है जो कई प्रकार के कार्यों जैसे भूतत्वीय जांच, मूल्यांकन तथा समन्वय, प्रयोगशाला अनुसंधान आदि, पर विचार करे ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) लोहा तथा इस्पात के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने में सरकार की सहायता करने के लिये हाल ही में स्थापित किया गया कर्णधार दल १३० लाख टन रोल्ड माइल्ड इस्पात अथवा १७२.५ लाख टन इस्पात के पिंड के उत्पादन के लक्ष्य के आधार पर काम कर रहा है। इस्पात के इस कार्यक्रम के लिये कच्चे माल की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए भी उठाये जाने वाले कदमों पर विचार किया जा रहा है। चौथी योजना में इस्पात के उत्पादन के अन्तिम लक्ष्य, चौथी योजना के कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देते समय, सरकार द्वारा सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार कर के, निर्धारित किये जायेंगे।

(ख) और (ग). चौथी योजना में लोहा तथा इस्पात के विकास कार्यक्रमों में योग देने के लिये विभिन्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला, भारतीय खान ब्यूरो और भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और सरकारी परामर्शदाता मेसर्ज दस्तूर एण्ड कम्पनी को कहा जा चुका है।

श्री श्यामलाल सर्राफ: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चौथी योजना चालू करने से पूर्व चूने के पत्थर, कोयले और लोहे की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध करा दी गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज़,-अयस्क की आवश्यकता के बारे मे प्राक्कलन तैयार किये गये और इस कार्य को बढ़ाने के लिये सभी कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : भूतत्वीय, प्रयोगशाला और अन्य जांच के बारे मे क्या सरकार ने और इस कार्य में लगे पदाधिकारियों ने स्वयं को यह सुनिश्चित कर लिया है कि हमें प्रस्तावित स्तर पर इस्पात तैयार करने के लिए अपेक्षित कच्चे माल की किस्म भी अच्छी हो ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि देश के किन क्षेत्रों में सब से अधिक लौह-अयस्क मिलता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक लौह-अयस्क का सम्बन्ध है, बेल्लारी-इस्पात क्षेत्र में सब से अधिक लौह-अयस्क है। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, बंगाल-बिहार क्षेत्र में सब से, अधिक कोकिंग कोयला होता है। चूने का पत्थर मध्य प्रदेश में मिलता है और डोलोमाइट भी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अन्य दिन मंत्री महोदय ने बताया था कि कोयले के उत्पादन में सर्वाधिक कमी इस्पात उद्योग द्वारा इसके कम खपत के कारण हुई। शायद यह ४० लाख टन है। इसमें गलती कहां रही ? क्या योजना मे उद्योग मे कोयले की खपत भी शामिल है ? यदि हां, तो यह कम खपत क्यों हुई ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब प्राक्कलन तैयार किये गये तो यह आशा की गई थी कि एक टन कच्चे लोहे के लिये ९०० किलोग्राम कोयले की खपत होगी। वास्तव में यह बहुत कम हुई है। इस का एक पहलू यह है। दूसरे, तृतीय योजना विकास कार्यक्रम में २ मामलों में लगभग १८ महीनों का विलम्ब हुआ है और भिलाई के मामले में एक वर्ष का विलम्ब हुआ है। इस से भी तीसरी योजनावधि में कोयले की खपत कम हुई है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या अपेक्षित इस्पात की किस्म के बारे मे कोई ठीक मूल्यांकन किया गया है ताकि उसी प्रकार उत्पादन का आयोजन किया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जीं, हां। इस पर भी विचार किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न इस्पात संयंत्रों में, विशेषतः भिलाई में, विकास कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है या इसमें कोई कठिनाईयां महसूस की जा रही हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा मैं बता चुका हूं, इन कार्यों को आरम्भ करने में कुछ विलम्ब हुआ है, परन्तु अब वह कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

Shri Achal Singh : Have you estimated the period of availability of raw materials required for the new steel plants which are being established ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब इस्पात कारखाने आरम्भ किये जाते हैं तो उन को कच्चा माल दिया जायेगा; अन्यथा इस्पात कारखाने चल ही नहीं सकते।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या उन विभिन्न संगठनों ने, जिन को जांच करने और एक उत्पादन योजना पेश करने को कहा गया है, अपने अन्तिम प्रतिवेदन दे दिये हैं और यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो उन्होंने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भविष्य में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रों के बारे मे हम ने इस पर ध्यान देने के लिये दो संगठन स्थापित किये। गोआ-बेल्लारी-हास्पत क्षेत्र के बारे में एक प्रतिवेदन मिल गया है। विशाखापटनम् बेलाडिल्ला क्षेत्र के बारे में यह आशा की जाती है कि इस महीने के अन्त तक प्रतिवेदन मिल जायेगा।

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय ने बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य लगभग १३० लाख टन तैयार इस्पात है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये अनुमानित कुल इस्पात उत्पादन में बोकारो में उत्पादन का महान योग है, और इस संयंत्र के चलने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये, क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय को यह आशा किस प्रकार होती है कि लक्ष्य पूरे हो जायेंगे। और क्या यह सच है कि अमरीकी उद्योगपतियों के उत्साह ठंडे पड़ जाने के बाद फिर से उत्साह दिखाया गया है और इसमें नया पक्ष शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न कितना लम्बा है ?

श्री नाथ पाई : जब कि प्रमुख पहलू ही न हो तो लक्ष्य के किस प्रकार पूरा होने की आशा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं यह निर्णय कर सकेंगे ।

श्री नाथपाई : यही बात मैं जानना चाहता हूं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि हम चौथी योजना में परियोजना क्रियान्वित करना चाहते हैं तो उन परियोजनाओं पर पहले से ही तीसरी योजना में अन्तिम कार्यवाही करनी होगी । अतः तृतीय योजना में हुए अनुभवों के आधार पर हम सीख रहे हैं और हम परियोजना के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री कृ० चं० पंत: सरकार द्वारा अब तक स्थापित किये गये संयंत्रों के मामलों में औसत तौर पर एक इस्पात संयंत्र परियोजना के आरम्भ करने और इसको पूरा करने के बीच कितना समय लगा है और चौथी योजना में इस्पात परियोजनाओं के लिये इस अवधि का सरकार का क्या अनुमान है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि ऋण वगैरा सभी बातें समय पर पूरी हो जायें तो ½ या चार वर्षों में १० या १५ लाख टन की क्षमता तक एक नया संयंत्र क्रियान्वित किया जा सकता है । विस्तार कार्यक्रम के बारे में मुख्य विलम्ब इस कारण हुआ कि हमें समय पर ऋण नहीं मिला ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : कई बार मंत्री महोदय ने बताया है कि गोआ और हास्पत के समीप इस्पात कारखाना स्थापित किया जायेगा परन्तु यह बड़ी भ्रामक बात है क्योंकि गोआ और हास्पत एक दूसरे से २०० मील की दूरी पर है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस्पात संयंत्र गोआ क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा या हास्पत क्षेत्र में ? गोआ और हास्पत उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तरह हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह भी सिर्फ २०० मील दूर है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसी बात नहीं है, जहां तक इस्पात उद्योग का सम्बंध है, यह एक क्षेत्र है । इसीलिये हमने इसकी जांच करने और हमें बताने के लिए कि यह कहां पर स्थापित की जानी चाहिये, एक तकनीकी समिति नियुक्त की है । हमें प्रतिवेदन अभी अभी मिला है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

⊞ [illegible]

*५७५. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची (बिहार) में हाल में लगी आग की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (क) और (ख) में हाल ही के अग्नि कांड में प्रबंध कर्ताओं की क्या कोई गलती थी और

थी तो क्या, इस पर जांच करने के लिये शीघ्र ही कोई बहुत वरिष्ठ अधिकारी अथवा उच्च न्यायालय का कोई कार्य-निवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किया जायेगा । उस जांच के निर्देश पद सरकार के विचाराधीन हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether any officer of the corporation will be appointed to conduct the inquiry ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भारत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए यह एक पुलिस जांच है । परन्तु यह भिन्न प्रश्न है कि प्रबंध प्राप्त कोई गड़बड़ी की गई है । यह जांच इस प्रश्न की होगी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या जांच शुरू होने से पहले कुछ अधिकारियों को पदच्युत करने अथवा मुअत्तल करने का विचार है अथवा ऐसा कर भी दिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसा कर दिया गया है । कुछ उच्च अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि वह अधिकारी कौन कौन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री उनके नाम बता सकते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां । प्रधान अब वहां का प्रधान नहीं है । निदेशक कर्मचारी से छुट्टी लेने को कहा गया है तथा उन्होंने छुट्टी ले ली है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उनके विरुद्ध क्या आरोप है । तथा क्या इन अधिकारियों को पदच्युत करने से पहले उनको स्वीकार कर लिया गया था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पुलिस की जांच तो हो रही है तथा अन्तिम प्रतिवेदन अभी पेश नहीं हुआ है। परन्तु आग लगी और उसका पता दो अथवा तीन घंटे तक नहीं लगा इस बात को प्रकट करता हैं कि प्रबंध ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह पालन नहीं किया था । इसीलिए मेरा विचार नहीं कि तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए और इसलिये जांच होने तक उनको हटा दिया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि रांची में काम करने वाले सभी कर्मचारियों में इस प्रकार का असंतोष है कि अधिकारियों में कुप्रबंध है । सरकार ने किन कारणों से इन अधिकारियों के विरुद्ध इतने विलम्ब से जांच आरंभ की ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पहले तो पुलिस जांच पूरी होनी चाहिए कि इस घटना की जिम्मेदारी किस पर है । परन्तु इस बीच में भी जांच करने के लिए उचित अधिकारी ढूंढने का प्रयत्न कर रहा । पहले एक अथवा दो अधिकारियों ने जांच करना स्वीकार कर लिया था परन्तु बाद में अस्वीकार कर दिया था ।

श्री महेश्वर नायक : आग के कारण कौन से यंत्र नष्ट हो गये थे क्या उनको बदल दिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : एकदम तो बदला नहीं जा सकता है । यंत्रों की जांच की जा रही है कि क्या कोई टूट गया है और बदला जाना चाहिए ।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार ने इस आग के कारण हुई हानि का कोई निर्धारण किया है ?

Development Programmes of Orissa

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। ऐसा अनुमान है कि ३५ लाख रुपये की मशीनें नष्ट हो गई हैं। परन्तु ये मशीनें कितनी टूट फूट गई हैं इसका अब निर्धारण किया जा रहा है।

Shri Kachhavaiya : May I know any representation in regard to the five has been submitted by the labour and all these papers will be forwarded to enquiry Committee ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसा कोई अभ्यावेदन मुझे नहीं मिला है ?

*576. { **Shri Maheswar Naik** :
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of **International Trade** be pleased to state :

(a) whether the survey mission of the Overseas Technical Co-operation agency of Japan which conducted a survey of the development programmes of Orissa had submitted a report in September, 1963 ; and

(b) if so, the main recommendations contained therein ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन में मुख्यतः निम्नलिखित पर सिफारिशें की गई हैं :—

(१) दाइतारी तोम्का क्षेत्र में खनिज लोहे की खानों का विकास, खानों से पत्तन तक परिवहन की व्यवस्था तथा पारादीप पत्तन का विकास, और साथ ही,

(२) कोयले पर आधारित सह-उद्योगों का विकास, मछली पालन का विकास तथा कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करना आदि।

श्री महेश्वर नायक : क्या इस सर्वेक्षण में खनिज बैल्टों के विकास की योजना शामिल है तथा क्या इन क्षेत्रों को पत्तन क्षेत्रों से मिलाने की भी कोई योजना है ?

श्री मनुभाई शाह : इसमें उड़ीसा में हुए विकास को शामिल नहीं किया गया है। इसमें दाईतारी तोम्का क्षेत्र शामिल है।

श्री महेश्वर नायक : क्या जांच के परिणामस्वरूप सहयोग देने वाले जापानी अभिकरण ने इन खानों के विकास के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा साधनों को पूरा करने के लिये कोई सहायता दी है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां। लोह अयस्क एक अलग भाग है तथा दूसरा भाग विभिन्न विकास योजनाओं के लिये जापान द्वारा दी गई सहायता है।

श्री रंगा : क्या ये प्रतिवेदन प्रकाशित होगा तथा क्या भारत सरकार ने कोई प्रयत्न किए हैं कि उड़ीसा सरकार से परामर्श करे जिससे संघ सरकार तथा उड़ीसा सरकार द्वारा शिष्ट मंडल की सिफारिशें लागू की जा सकें।

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में उड़ीसा सरकार ही काम कर रही है। हम तो केवल समन्वय ही कर रहे हैं।

श्री रंगा : क्या प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : ये सभी तकनीकी बातें हैं।

श्री रंगा : कम से कम संक्षिप्त विवरण ही प्रकाशित किया जाये।

श्री मनुभाई शाह : यह तकनीकी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन है। वे कई प्रकार के प्रतिवेदन भेजते हैं। इसलिये केवल मुख्य सिफारिशें सभा के सामने आयेंगी।

Shri Yashpal Singh : Will the able Governor of Orissa....

Mr. Speaker : Governor has no connection with it.

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या इस विकास कार्यक्रम के लिये उड़ीसा को जापान द्वारा कोई सहायता दी गई थी तथा यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां। उड़ीसा सरकार ने धन की व्यवस्था की है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सर्वेक्षण शिष्टमंडल किसी और राज्य में भी गया था तथा उसने किसी अन्य राज्य में जांच की थी ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, कई कार्यक्रम हैं। निर्यात के लिए लौह अयस्क के विकास की बृहद योजना ३०८ करोड़ रुपये की है तथा मैं उसके बारे में सभा में बता चुका हूं। इसके अधीन बेल्लारी, बेलाडिला, किरिबुरू, मद्रास के लौह अयस्क, मध्य राज्यों के निक्षेप तथा मैसूर और अन्य राज्यों के निक्षेपों का विकास होगा।

अमरीका द्वारा रूई का संभरण

+

*५७७. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत को पी० एल० ४८० के अधीन रूई का अधिक संभरण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा कितने मूल्य की रूई का संभरण होगा तथा इस बढ़े हुए संभरण का क्या उद्देश्य है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). अमरीका सरकार हाल ही में भारत को पी० एल० ४८० के अधीन रूई की ३ लाख अमरीकी गांठें, जिनका मूल्य ४ करोड़ ७० लाख डालर अथवा २२ करोड़ ३० लाख रुपये होता है, देने के लिये तैयार हो गई है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या इनके उपयोग के बारे में भारत सरकार तथा अमरीका सरकार के बीच किसी करार अथवा पी० एल० ४८० के अधीन इन संभरणों के बारे में कोई शर्तें निर्धारित हैं ?

श्री कानूनगो : जी हां। एक शर्त यह है कि अन्य साधनों से आयात कम नहीं किया जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह रूई किनको तथा किस आधार पर दी जायेगी ?

श्री कानूनगो : पहले इस आयात की गई रूई का उपभोक्ता मिलें उपयोग करती थी।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या इसके संभरण का कोई आधार है ?

श्री कानून गो : रेशे की लम्बाई और पहले प्रयोग ही आधार है।

श्री छ० म० केदरिया : उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है जिससे हमको इस प्रकार की रूई का आयात न करना पड़े ?

श्री कानूनगो : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

Shri Vishwa Nath Pandey : Is there any scarcity of cotton and therefore it is imported under P.L. 480 ?

Shri Kanungo : It is always imported . Normally about 6 lacs of bails are imported from Egypt and East Africa.

श्री भागवत झा आजाद : क्या २२.३ करोड़ रुपये की तीन लाख गांठों का आयात उपभोक्ता के लाभ में किया जाता है अथवा क्या विशेष किस्म की रूई का आयात किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : मध्यम किस्म का कपड़ा बनाने का विचार है ?

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या यह रूई सरकार द्वारा स्वयं आयात की जायेगी तथा मिलों को वितरित की जायेगी अथवा क्या मिलों को स्वयं आयात करने की अनुमति है ?

श्री कानूनगो : मूल्य तय हो चुके हैं तथा शर्तें तय हो चुकी हैं और दोनों सरकारों का यह प्रबंध है तथा सरकार मिलों को जहाजों से माल उतारने की अनुमति दे देती है।

श्री हेडा : क्योंकि यह आयात सामान्य आयात से अधिक है इसलिए क्या यह आगामी दो अथवा तीन वर्ष की आवश्यकता पूरी कर सकेगा ?

श्री कानूनगो : जी नहीं। यह सामान आयात से बहुत कम है।

रुरकेला इस्पात कारखाना

＋

*५७८. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री मं० ला० द्विवेदी :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९६३ में रुरकेला का दौरा करने वाला जर्मन तकनीकी दल इस्पात कारखाने में श्रमिकों के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने इसमें सुधार करने के लिये कोई सुझाव दिये हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :(क) और (ख). जर्मन संघ गणराज्य के आर्थिक सहकार मंत्री महामहिम श्री वाल्टर शील कुछ सरकारी अफसरों के साथ दिसम्बर, १९६३ में रुरकेला गये थे। हिन्दुस्तान स्टील के साथ चर्चा के दौरान जर्मन दल ने सामान्य रूप से यह विचार प्रकट किया था कि कारखाने के मजदूरों में अधिक अनुशासन होना चाहिये जिससे कि उत्पादन अधिक अच्छा हो सके। परन्तु जर्मन दल ने मजदूरों में अनुशासन को सुधारने के लिये कोई खास सुझाव नहीं दिया था।

श्री सुबोध हंसदा : क्या जर्मनी की तुलना में हमारे देश के मजदूर किस प्रकार का काम करते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस समय दोनों का तुलनात्मक कार्य नहीं बता सकता हूं।

श्री सुबोध हंसदा : क्या इस कम काम के लिये श्रम संघ जिम्मेदार हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : रुरकेला में कई श्रम संघ हैं जो मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री ब० क० दास : क्या सोलवीन समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था और श्रम संमबन्ध सुधारने के सुझाव दिये थे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां। रूरकेला का दौरा करने वाले सभी दलों ने श्रम अनुशासन-हीनता तथा मजदूरों द्वारा काम करने की ओर ध्यान दिया था। स्थिति को सुधारने के लिये हम सभी संभव उपाय कर रहे हैं।

श्री रंगा : मजदूरों की क्षमता बढ़ाने के लिये समय समय पर मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मजदूरों की दक्षता का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो बहुत से श्रम संघों के कार्य का और मान्यता का है। वे स्वयं हड़ताल कर देते हैं तथा धीमी गति से काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण कारखाने में काम नहीं हो पाता है।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार ने विदेशी शिष्टमंडल को बताने का प्रयत्न किया है कि यह कार्यत अनुशासनहीनता प्रतिद्वन्दिता के कारण नहीं अपितु सरकार द्वारा ऐसे संघों को मान्यता देना है जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रतिद्वन्द्विता के कारण किसी भी संघ को अभी मान्यता नहीं दी गयी है। और मामला न्यायालय को सोंप दिया गया हैं। इसलिये सरकार की अदक्षता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह तो श्रम संघों के कार्य का प्रश्न है।

Shri Brij Raj Singh : When Government have come to know that this in efficiency is due to many unions then why Govt. is not taking an effective steps to eradicate these unions.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सामान्य श्रम नीति का प्रश्न है। इसकी जांच की जायेगी।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि त्रिदलीय श्रम सम्मेलन तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने संघों को मान्यता देने के लिए अनुशासन संहिता में प्रक्रिया

बना दी है ? प्रतिनिधि संघों को मन्यता देने के सम्बन्ध में सरकार उसी प्रक्रिया कोक्यों नहीं अपनाती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस मामले में उड़ीसा सरकार ने जांच की थी तथा जब वह निर्णय लेने वाले थे तब एक संघ ने मामला न्यायालय में पेश कर दिया और मामला लम्बित हो गया। अब किसी संघ को मान्यता देने का प्रश्न नहीं है। ज्यूंही एक संघ को मान्यता दी जाती है त्यूंही दूसरा संघ गड़बड़ करने लगता है जिससे उसको भी मान्यता मिल सके जाये।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस दल ने यह भी बताया था कि प्रबन्ध ने श्रम कल्याण कार्यों की भी उपेक्षा की है तथा इसलिये मजदूरों में असन्तोष है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं :। ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी।

इस्पात उद्योग में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी

-।-

†५८१. { **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अपनी इस्पात नीति में परिवर्तन करने का विचार कर रही है जिससे इस्पात उद्योग में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी आसानी से लगायी जा सके ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी नहीं।

श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने आयव्ययक भाषण में कुछ सुझाव दिये थे कि इस्पात कारखानों में लगाने के लिये विदेशी पूंजी मांगी जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि उसमें इस्पात कारखानों का कोई जिक्र नहीं है।

श्री नाथ पाई : क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों में कोई सत्यता है कि बोकारो के सम्बन्ध में अमरीकी पुनः रुचि दिखाने लगे हैं और अमरीका से कोई गैर सरकारी दल यहां आया था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बोकारो के लिये हमें विदेशों से यंत्र लेने हैं। मशीन बनाने वाले हमको मशीनें देना चाहते हैं तथा उनमें से अमरीका भी एक है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या वर्तमान इस्पात कारखानों के भविष्य में विस्तार के लिए विदेशी पूंजी लेने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सरकारी कारखानों की स्थापना में देश में अथवा बाहर से गैर सरकारी पूंजी लेने का इस समय कोई विचार नहीं है।

लोहा तथा इस्पात निदेशक का कार्यालय, कलकत्ता

-।-

†५८४. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात निदेशक के कार्यालय, कलकत्ता के पांच कर्मचारियों को हाल में ही विभाग ने तथा पुलिस ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आरोप-पत्र दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सहायक लोहा और इस्पात नियंत्रक के पद के प्रथम श्रेणी के एक राजपत्रित अधिकारी को आरोप-पत्र दिया गया था और विभागीय जांच पूरी हो गयी थी। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ उसका मामला अब विचाराधीन है। सहायक लोहा और इस्पात नियंत्रक के पद के द्वितीय श्रेणी के एक अन्य राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसचिवीय वर्ग के दो अराजपत्रित अधिकारियों को भी आरोप पत्र दिये गये हैं। उन्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा गया है। द्वितीय श्रेणी के इस सहायक लोहा और इस्पात नियंत्रक पर पुलिस का भी एक मामला है। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत उस पर तथा इस्पात व्यापार के पांच व्यक्तियों का आपराधिक षडयंत्र रचने तथा अपराध करने के लिये चालान कर दिया गया है। मामला न्यायाधीन है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि यह अनियमितता और भ्रष्टाचार किस तिथि को पकड़े गये और वास्तविक कार्यवाही किस दिन हुई ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि तिथियां यहां मेरे पास नहीं हैं।

श्रीमती सावित्री निगम: क्या मंत्रालय को पिछले दो वर्षों से शिकायतें मिलती रही हैं तथा पुलिस द्वारा यह मामला पकड़े जाने तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कार्यवाही करने से पहले हमें कुछ तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं। कुछ तथ्य मिलते ही हमने कार्यवाही की और जांच चल रही है।

श्री रंगा : इन शिकायतों तथा सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को देखते हुए क्या सरकार कोई निरोधक कार्यवाही की है या न केवल कलकत्ता में बल्कि अन्य स्थानों पर भी ऐसे नियंत्रकों को हिदायतें दी हैं ताकि ऐसी घटनायें फिर न हों ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार इस्पात नियंत्रण के कार्यकरण से बड़ी असन्तुष्ट थी और इसीलिए सारे मामले की जांच की गयी थी तथा अभी हाल में हमने कतिपय मदों के विनियंत्रण और अन्य मदों के बारे में नियंत्रण की अन्य व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि नया संगठन अधिक अच्छा काम करेगा ।

कपड़ा मशीनों का आयात

+

*५८५. { श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बेचने के लिये स्विटज़रलैंड से कपड़ा मशीनों का इकट्ठा आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ; और

(ग) प्रस्तावित आयात कितने मूल्य की मशीनों का होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री महेश्वर नायक : क्या कपड़ा मशीनों के उत्पादन तथा उपलब्धता में अन्तर को अब तक दूर कर दिया गया है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं, इसे दूर नहीं किया गया है . . . . . **(अन्तर्बाधायें)** मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कोई अन्तर है जो आयात द्वारा पूरा किया जाता है। स्विस स्रोतों के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही ।

श्री महेश्वर नायक : जिन देशों से हम मशीनों का आयात करने जा रहे हैं क्या उन्होंने अन्य देशों से होने वाले हमारे आयात का विदेशी मुद्रा का अंश दिया है ?

श्री कानूनगो : सारा तो नहीं, इसका कुछ भाग ही ।

Shri Kachhavaiya : Is it a fact that these imported machines have given fillip to textile production but at the same time have increased unemployment ?

Shri Kanungo : No, no such machine has come.

Shri Vishwanath Pandey : Is there dearth of textile machinery in the Country ?

Shri Kanungo : Yes, Sir, there is shortage.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कच्चा माल न होने के कारण भारत में वर्तमान मशीन निर्माण उद्योग की बहुत सी उत्पादन क्षमता बेकार रहेगी ?

श्री कानूनगो : जी हां, आयातित कच्चे माल के बारे में कठिनाइयां हो रही हैं।

श्री नाथ पाई : इस बात को देखते हुए कि भारत की कपड़ा मिलों में अधिकतर मशीनें पुरानी और टूटी-फूटी हैं, उन्हें बदलने के लिये सरकार की समूची योजना क्या है ? क्या ऐसा आयात से किया जायेगा या देशी उत्पादन को बढ़ावा देने से ?

श्री कानूनगो : दोनों तरह से। इसका उल्लेख सभा में रखे गये सरकार के वार्षिक प्रतिवेदनों में किया गया है ।

श्री नाथ पाई : श्रीमन, वह कोई पैगम्बर तो नहीं हैं, उत्तर थोड़ा और विस्तृत होना चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार कताई के छोटे और बिजली से चलने वाले यूनिटों के आयात के बारे में सोच रही है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं ।

श्री कृ० चं० पंत . क्या यह सच नहीं है कि सरकार कपड़ा मशीनों के निर्यात का संवर्द्धन करने का प्रयास कर रही है ? जब देश में कमी है तो निर्यात कैसे किया जाएगा ?

श्री कानूनगो : सरकार कपड़ा मशीनों के निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि जब उत्पादन बढ़ जायेगा और हमारे पास मशीनें होंगी तो हम निर्यात करना चाहते हैं ; इसकी मात्रा बहुत ही कम है। कुछ ऐसी भी कपड़ा मशीनें हैं जो यहां नहीं बनतीं । यहां केवल कताई के फ्रेम और करघे बनते हैं ; वे हमारी आज की मांगों को पूरा करने के लिये काफी नहीं हैं ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि एक समय कपड़ा मशीन निर्माता यह दावा किया करते थे कि वे हमारी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मशीनों का उत्पादन करते हैं ?

श्री कानूनगो : जी नहीं ; उन्होंने ऐसा दावा कभी नहीं किया ; कताई के फ्रेमों के बारे में भी पिछले दो वर्षों से अधिक से वे कम रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने देश में पन्द्रह वर्षों के लिये कपड़ा मशीनों की व्यापक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कोई भावी आयोजन किया है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ? क्या यह केवल गुजारा करने की नीति है।?

श्री कानूनगो : श्रीमान्, यह भली भांति ज्ञात है; यह तो निर्धारण करके क्षमता निश्चित करने का प्रश्न है।

श्री दे० जी० नायक : क्या सरकार का इरादा देश में स्थापित होने वाली सहकारी कताई मिलों के लिये कपड़ा मशीनें आयात करने का है ?

श्री कानूनगो : आयात की जाने वाली कुछ कपड़ा मशीनें सहकारी मिलों के लिये हैं।

Shri Achal Singh : Has the production of those machines started in India which are being imported ?

Shri Kanungo : Some of the components are not manufactured in the country.

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार किन कारणों से यह विश्वास रखती है कि देश में कपड़ा मशीनों की कमी है तथा हथकरघा और अम्बर चरखा क्षेत्र में उपलब्ध महान क्षमता का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : यह इतनी भली-भांति ज्ञात है कि उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

श्रीमती सावित्री निगम : हो सकता है ज्ञात हो परन्तु मैं उत्तर चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह माननीय सदस्या से सहमत नहीं हैं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर
SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

दिल्ली दुग्ध योजना

\+
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६.
श्री महेश्वर नायक :
श्री हृ० च० सोय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों में दूध इकट्ठा करने के केन्द्रों में दूध बहुत कम आने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूध की कमी के कारण मक्खन, घी और आइसक्रीम बनाने वाली कीमती मशीनें लगभग बेकार पड़ी हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० थामस) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री महेश्वर नायक : क्या मंत्री महोदय का ध्यान ७ तारीख के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "दिल्ली दुग्ध योजना को अभूतपूर्व संकट का सामना। दूध के संभरण में कमी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि दूध का संभरण ५,५०० मन से घट कर लगभग ३,३३० मन हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जब वह दोनों में से एक पर विश्वास कर सकते हैं : या प्रेस पर या मंत्री पर। दोनों में से वह किसी को चुन सकते हैं।

श्री महेश्वर नायक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस समाचार की ओर गया है और क्या यह सच है ?

श्री अ० म० थामस : समाचार मेरे ध्यान में आया है। तथ्य यह है कि उस सप्ताह में जिसमें यह समाचार छपा हमने औसतन १,८४० क्विटल भैंस का दूध और ४६ क्विटल गाय का दूध खरीदा, कुल मिला कर १,५२६ क्विटल दूध। टोंड दूध सहित हमने लगभग १,४२,००० लिटर दूध तैयार किया जो लगभग ३,६०० मन होता है।

श्री महेश्वर नायक : उसी समाचार में कहा गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकृत प्रवक्ता ने कहा है कि दूध से बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन लगभग शून्य हो गया है। क्या इसमें कोई सच्चाई है और यदि हां, तो कमी को कैसे पूरा किया जा रहा है।

श्री अ० म० थामस : यह समाचार ठीक नहीं है। हमने कोई ४,००० मन तैयार किया है। सच तो यह है कि अब मात्रा १,५२,६०० लिटर है। यह ठीक है कि गत सितम्बर में उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग में–यहां से दुग्ध योजना के लिये बहुत दूध मिलता है–– बाढ़ आने से, चारे की फसल के नष्ट हो जाने से तथा भैंसों और गायों तक में रोग फैल जाने से हमारा संभरण कुछ कम हो गया है। अन्यथा हमें अधिक मात्रा प्राप्त हुई होती क्योंकि दिल्ली दुग्ध योजना में तीसरी योजना के अन्त में ७,००० मन दूध का लक्ष्य है। इन परिस्थितियों के कारण शायद यह लक्ष्य पूरा न हो सके। अन्यथा, हम अधिक प्रगति कर सकते थे।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : इस संयंत्र की कुल परिष्करण क्षमता क्या है, उसमें से कितनी का उपयोग हो रहा है तथा लक्ष्य तक न पहुंच सकने के क्या कारण हैं ?

श्री अ० म० थॉमस : जैसा कि मैं ने पहले बताया, दूध के काम में क्रमशः प्रगति हो रही है १९६१-६२ में हमने ८६,००० लिटर दूध का काम किया और १९६२-६३ में १,१५,००० लिटर का और अब यह १,४२,००० लिटर या इससे कुछ अधिक है। तीसरी योजना के अन्त तक हमारा लक्ष्य ७,००० मन का है, जैसा कि मैं कह चुका हूं। उसे पूरा करना भी शायद कठिन हो। संयंत्र की क्षमता तो है परन्तु कुछ कठिनाइयां हैं, जैसे कि परिवहन की कठिनाई तथा कई अन्य। हमें आवश्यक टैंकर चाहियें जिनके लिये विदेशी मुद्रा की जरूरत है। इन सब परिस्थितियों के कारण हम जरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम पैर जमाना चाहते हैं और फिर बढ़ना चाहते हैं।

श्री नाथ पाई : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि यह सन्देह बढ़ता जा रहा है, और दूध लेने वालों के दुखद अनुभव से यह प्रायः पुष्ट हो जाता है, कि जो पेसच्युराइज्ड दूध दिया जाता है उसमें प्रायः गाय का दूध, भैंस का दूध और अन्य अज्ञात वस्तुओं की मिलावट होती है ?

श्री अ० म० थामस : भैंस के दूध को भैंस के दूध के रूप में बेचा जाता है, गाय का दूध गाय के दूध के रूप में बेचा जाता है तथा टोंड दूध को टोंड दूध के रूप में। कार्डधारियों की संख्या १,४४,००० है। कहीं कुछ मामलों में शिकायत हो सकती है परन्तु हम प्रयत्न यही कर रहे हैं कि ऐसी शिकायतें न हों।

श्री ह० प० चटर्जी : दिल्ली हरियाना क्षेत्र के मध्य में है। क्या यह सच है कि हरियाना से गाय का दूध दिल्ली नहीं लाया जाता परन्तु केवल २७० मील दूर से––बीकानेर से–दूध इकट्ठा किया जाता है ? हरियाना से दूध खरीदने के बारे में माननीय मंत्री क्या करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को हरियाना का दूध ज्यादा अच्छा लगता है। क्या वह दे सकते हैं ?

श्री अ० म० थामस : गाय का दूध हमें कम मिलता है। हम इसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह गाय के दूध के लिये नहीं बल्कि हरियाना के दूध के लिये कह रहे हैं।

श्री अ० म० थामस : हम पंजाब में कुछ दूध ठिठराने वाले केन्द्र खोल रहे हैं और मैं समझता हूं कि हरियाना का दूध बड़ी मात्रा में आयेगा।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that whatever little milk is supplied by the Milk Scheme reaches the consumers after 72 hours and in the meanwhile all the vitamins are destroyed, if so, what is Govt. doing in this respect ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि ७२ घंटे लग जाते हैं।

श्री अ० म० थामस : यह ठीक नहीं है। संभरण क्षेत्रों से, अर्थात् उत्तर प्रदेश से, अपर्याप्त संभरण के कारण शायद कभी कभी विलम्ब हो जाता है। परन्तु ७२ घंटे ठीक नहीं है।

Shri Yashpal Singh : Milk which comes from a distance of 200 miles cannot reach the consumers before 72 hours in any case.

Shri Achal Singh : Has the supply of milk from Bikaner stopped or is still continuing ?

Mr. Speaker : One hon. Member says that milk is not brought from Hariyana while it is brought from Bikaner and another hon. Member asks whether supply of milk from Bikaner has stopped or not.

श्री अ० म० थामस : हमने बन्द नहीं किया है; बीकानेर से हम लगभग १३० मन दूध ले रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गोआ लौह अयस्क खानें

*५७३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ की खानों से प्राप्त लौह-अयस्क के चूरे से बनाये गये "पैलट" लोहा बनाने के लिए धमन भट्टियों में प्रयोग के लिए बहुत उपयुक्त पाये गये हैं;

(ख) क्या इस अच्छी किस्म के लौह-अयस्क के लाभप्रद उपयोग के बारे में किसी धातुकर्मिक प्रयोगशाला में जांच की गई है तथा यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उनको धो कर तथा तिराकर उनमें 'एल्यूमीना' तथा 'सिलिका' की मात्रा कम करने में सफलता मिल गई है जिससे कच्चा लोहा बनाने में कोक की खपत कम हो जाये; और

(घ) क्या स्थानीय उत्पादों के परीक्षण के लिए गोआ में प्रयोगशाला स्थापित करने की कोई योजना है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) गोआ में एक खान के लौह-अयस्क के चूरे के नमूने की राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला में जांच की गयी और यह पता लगा कि उससे बनाये गये 'पैलट' धमन भट्टी में प्रयोग के लिये उपयुक्त होंगे।

(ख) पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला में लौह-अयस्क के चूरे के प्रयोग के बारे में उपयुक्त रूप से श्रेणी बढ़ा कर सिन्टेरिंग और पैलेटाईजिंग तरीके अपना कर क्रमबद्ध प्रयोगशाला में जांच की जा रही है। परिणामों से पता चला है कि लौह-अयस्क के सारे चूरे का इस तरीके से लाभप्रद रूप से प्रयोग किया जासकता है।

(ग) राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान कार्य से पता चला है कि सभी लौह-अयस्क के मामले में ग्रेविटी पृथक करके धुलाई करके से इसमें से काफी मात्रा में अल्यूमिना और सिलिका तत्व निकल जाते हैं; इससे लोहा बनाने के तरीके में कोक की खपत कम हो जाती है।

(घ) जी, नहीं।

सस्ते कैमरों का निर्माण

***५७४. श्री बी० चं० शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री २९ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ते कैमरे बनाने के लिए विदेशी सार्थ से बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). इसमें और कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि सहयोगी से अभी उत्तर नहीं आया है।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

***५७९. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री १३ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से ब्रिटेन को तैयार कपड़े तथा बने-बनाये कपड़ों के आयात से सम्बन्धित किन समस्याओं पर लन्दन में बातचीत हुई थी ;

(ख) इन समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) ब्रिटेन को इन कपड़ों का कितना निर्यात बढ़ जाने की संभावना है।

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) समस्याएं ये हैं :

(१) किस कपड़े को "तैयार माल" कहा जायेगा ; और

(२) वर्ष १९६४ में इन श्रेणियों के अन्तर्गत भारत द्वारा निर्यात के लिये अधिकतम कितनी मात्रा टेंडर की जाये।

(ख) श्रेणी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

श्रेणी १(क) रंगे हुए सूत के कपड़े जिसमें टेरी टावल, टेरी टावलिंग और लूमस्टेट कैन्डी धारीदार कपड़ा शामिल नहीं है ।

(ख) लूमस्टेट कैन्डी धारीदार कपड़ा ।

श्रेणी २—अन्य बने बनाए कपड़े ।

श्रेणी ३—अन्य तौलिये, बनी बनाई वस्तुएं, चादरें, तकिये के गिलाफ, कंबल, नैपकिन्स, आदि

श्रेणी ४—पौशाक (मिल के बड़े कपड़े से बने केवल पहिनने वाले कपड़े)

ब्रिटेन इन श्रेणियों के अन्तर्गत वर्ष १९६४ में लगभग २५० लाख वर्ग गज़ कपड़ के निर्यात को स्वीकार करने को राज़ी हो गया है ।

(ग) इस सीमा का, जहां तक इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है, पता लगाना कठिन है ।

लौह अयस्क का निर्यात-व्यापार

*५८०. { **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :**
श्री राम सहाय पाण्डेय

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में लौह अयस्क के निर्यात-व्यापार का विकास करने की योजनाओं के आयोजन तथा क्रियान्विति का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन बनाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह नई व्यवस्था विश्व बैंक द्वारा योजना आयोग को पहले दिये गये सुझावों के आधार पर की गई है ; और

(ग) योजना के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में, जिनमें व्यापार सम्भावनाओं का निर्धारण, खनन और परिवहन शामिल है, योजना को कार्यान्वित करने का कार्य कहां तक प्रस्तावित संगठन तथा सामान्य व्यापार सूत्रों द्वारा संभाला जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पटसन आयुक्त का दौरा

*५८३. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन आयुक्त ने विदेशी बाजार में भारतीय पटसन की मांग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दिसम्बर, १९६३—जनवरी, १९६४ में यूरोपीय साझा बाजार के देशों तथा यूरोप के कुछ अन्य भागों का छः सप्ताह का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है तथा यदि हां, तो उनके मुख्य विचार तथा सुझाव क्या हैं ; और

(ग) उन के प्रतिवेदन के आधार पर विदेशी बाजार में भारतीय पटसन की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां । शिष्टमंडल २१ नवम्बर, १९६३ को भारत से गया था और २७ दिसम्बर, १९६३ को लौट आया था ।

(ख) जी हां । एक विवरण, जिसमें मुख्य सिफारिशें दी गयी हैं, सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सिफारिशें

१. यदि हम अपनी मौजूदा मंडियों को बनाये रखना चाहते हैं और पश्चिम योरोप में भारतीय पटसन वस्तुओं के प्रयोग का विस्तार करना चाहते हैं तो कारीगरी और सामग्री की किस्म में काफी सुधार किया जाना है । अतः यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अविलम्ब किस्म नियंत्रण योजना को उद्योग-वार आधार पर क्रियान्वित किया जाये । यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे कि प्रत्येक मिल में यह योजना कार्यकारी ढंग से लागू हो । यह अत्यावश्यक है कि इस विशेष विषय पर सारे उद्योग बड़ा ध्यान दें । यह भी बड़े महत्व की बात है कि भारत में उत्पादित पटसन की किस्म यथासंभव शीघ्र सुधारी जाय । इतने समय में सरकार को लम्बे पटसन और कतरनों के उदारतापूर्ण आयात पर भी विचार करना चाहिये ।

२. ठेके के सी० जे० एफ० एस० ए० तरीके को पुनरीक्षित करने पर तत्काल और शीघ्र विचार किया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके ताकि ग्राहकों की दावा के निपटारे, मध्यस्थ-निर्णय, देर से माल भेजने पर दंड आदि के मामले में अच्छी सेवा की जा सके क्योंकि योरोप में अधिकांश आयातकों का यह सर्वसम्मत मत है कि ठेके का वर्तमान तरीका निर्यातकों और निर्माताओं के पक्ष में है और इससे ग्राहकों में असंतोष है और इससे विश्वासहीनता पैदा होती है और व्यापार को धक्का लगता है जोकि ऐसा न होने पर भारतीय उद्योग को हानि नहीं होगी ।

३. इस समय पश्चिम योरोप में पटसन उद्योग के लिये कोई भी विपणन संगठन नहीं है । यह अत्यावश्यक प्रतीत होता है कि यदि हमें योरोप में पटसन के सामान की बिक्री बढ़ानी है तो यथासंभव शीघ्र एक उपयुक्त संगठन स्थापित करना होगा ।

४. आई० जे० एम० ए० आर० आई० और आई० सी० जे० सी० की प्रयोगशालाओं में उत्पाद विकास कार्य पर अधिक बल दिया जाये ।

५. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जायें कि सभी अनुसंधान कार्यों के परिणाम एक जगह रखे जायें और इस प्रकार काम के दोहरेपन को रोका जाये ।

६. सरकार को कच्चे पटसन पर से निर्यात-शुल्क और पटसन की वस्तुओं पर से आयात शुल्क हटाने पर पुनर्विचार करना चाहिये ।

७. सरकार को वस्तु-विनिमय सौदे से पटसन की वस्तुओं को निकालने के अपने निर्णय पर विचार करना चाहिये। कुशलता बढ़ाने और लागत कम करने के लिये उद्योग को वैज्ञानिक व्यवस्था-करण और आधुनिकीकरण के लिये पूरी सुविधायें दी जानी चाहियें। विशेष प्रकार के उपकरणों के आयात के लिये अधिक उदारता से सुविधायें दी जायें।

९. सरकार को (१) बोरे बनाने वाले एकक (ख) विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिये छोटे एकक स्थापित करने की संभावना पर विचार करना चाहिये।

१०. भारत को इस बात की परीक्षा करनी चाहिये कि क्या पुनर्नियात के लिये भारतीय पटसन वस्तुओं के आयात की सुविधा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजिंग कन्वेन्शन का सदस्य बनना लाभप्रद होगा।

११. आई० जे० एम० ए० को नमूने के उपयुक्त फोल्डर बनाने चाहियें जिन पर उत्पादों का रेंज लिखा हो, विशेषतः उद्योग द्वारा बनाई गई विशेष प्रकार की वस्तुओं के बारे में और जो आयातकों और उपभोक्ताओं में वितरित किये जायें।

१२. पटसन उद्योग को भारत में वास्तविक काम की दशा में उचित मूल्यांकन के लिये नयी प्रकार की मशीनों के आयात के लिये अधिक सुविधायें देनी चाहियें।

१३. अतिरिक्त पुर्जे अधिक सरलता से उपलब्ध किये जायें ताकि उद्योग में लगाई गई मूल्यवान मशीनों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा सके।

१४. उद्योग के विदेशों में मशीन निर्माण समवायों के सहयोग से मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये एक उपयुक्त योजना चलाने पर विचार करना चाहिये।

(ग) सिफारिशें विचाराधीन हैं।

कोयला खनन उद्योग

११२४. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खनन उद्योग का, जिसके लिये पोलैण्ड के विदेशी-व्यापार उपमंत्री ने दिसम्बर, १९६३ में अपने दिल्ली के दौरे के दौरान अपने देश के सहयोग का प्रस्ताव किया, विकास करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि कोयले के उत्पादन में प्रतिवर्ष २० लाख टन की वृद्धि की जा सके।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): पोलैण्ड सरकार ने मई १९६० में और नवम्बर, १९६२ में नौ गहरी खानों के विकास के लिये दो ऋण दिये जिनमें प्रत्येक का औसत उत्पादन लक्ष्य प्रतिवर्ष २१.६ लाख टन है। सूदामडीह में 'शाफ्ट सिंकिंग' कार्य १ मार्च, १९६२ से चालू है और इसमें कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है। मध्य झरिया में मोनीडीह में दूसरी खान में 'शाफ्ट सिंकिंग' कार्य १७ मार्च, १९६४ से आरम्भ होगा। बाकी सात खानों में छिद्रण कार्य चल रहा है ताकि उनके विकास के लिये सर्वोत्तम स्थान चुना जा सके।

दिसम्बर, १९६३ में अपने दिल्ली के दौरे के समय पोलैण्ड के विदेशी व्यापार उपमंत्री ने उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई नया प्रस्ताव नहीं किया। तथापि, व्यापार सम्बन्धी बातचीत के

दौरान यह तै हुआ कि पोलैण्ड वर्ष १९६४ में भारत-पोलैण्ड व्यापार करार के अन्तर्गत ६० लाख रुपये मूल्य की कोयला खनन मशीनों का संभरण करेगा।

आन्ध्र प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

११२५. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आन्ध्र प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कितना ऋण दिया ;

(ख) इस ऋण में से प्रत्येक उद्योग के विकास के लिये कितना धन व्यय किया गया ; और

(ग) क्या बोर्ड ने राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये आयोग को कोई योजना भेजी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ३१ दिसम्बर, १९६३ तक ३.७५ करोड़ रुपये।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, हां।

मूंगफली का उत्पादन

११२६. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३ में आंध्र प्रदेश में कुल कितनी मूंगफली का उत्पादन हुआ ;

(ख) उसी अवधि में राज्य से कितनी मात्रा में मूंगफली के तेल का निर्यात किया गया ; और

(ग) उस की कुल लागत कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में सीमेण्ट के कारखाने

११२७. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में सीमेन्ट के कितने कारखाने हैं;

(ख) उड़ीसा को राज्य में वर्ष १९६३-६४ में सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये; और

(ग) कोरापुट जिले (उड़ीसा) में सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, एक।

(ख) वर्ष १९६३-६४ में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया बल्कि वर्ष १९६२–६३ में एक लाइसेंस दिया गया था।

(ग) कोरापुट जिले के लिये सीमेन्ट कारखाने की योजना को आवेदनकर्ताओं ने छोड़ दिया है।

उड़ीसा में कोयले की मांग

११२८. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३ में उड़ीसा राज्य की विभिन्न श्रेणी के कोयले की कितनी मांग है; और

(ख) यह मांग किस हद तक पूरी की गई है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). वर्ष १९६३ में उड़ीसा राज्य से विभिन्न प्रकार के कोयले की स्वीकृत मांग और इस मांग पर संभरण के आंकड़ निम्न प्रकार हैं :

(आंकड़े वैगनों में)

	कोटा	संभरण
कोयला . . .	५,७९८	६,७९८*
हार्ड कोक	१९२	—
सोफ्ट कोक . .	८८०	९३२
कुल .	६,८७०	७,७३०†

बालासोर (उड़ीसा) में "टिलर्स" का निर्माण

११२९. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्ज इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन आफ़ उड़ीसा लिमिटेड द्वारा बालासोर (उड़ीसा) में पावर टिलर्स के निर्माण के बारे में यदि अब तक कोई प्रगति हुई है तो क्या; और

(ख) इसमें कब उत्पादन शुरू हो जायेगा ।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) कारपोरेशन अभी तकनीकी सहायता, पूंजी में सहयोग, निर्माण कार्यक्रम आदि के ब्योरे के बारे में जापानी सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है।

---

*हार्ड कोक के संभरण के कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे गये ।

†परिवहन स्थिति में सुधार के कारण तदर्थ आवंटन के कारण संभरण कोटे से अधिक हुआ ।

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार संगठन (गैट) के साथ सूती कपड़ा करार

११३०. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वाजी : }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार संगठन (गैट) सूती कपड़ा समिति ने दिसम्बर, १९६३ में दीर्घकालीन सूती कपड़ा करार का पुनर्विलोकन किया; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत निर्यातक देश के रूप में किसी भी प्रकार इस करार के दुष्प्रभावों को कम करने में समर्थ है जिसके फलस्वरूप अमरीका सरकार ने अनावश्यक रूप से अधिक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दिसम्बर, १९६३ में हुई सूती कपड़ा समिति की पिछली बैठक में इस करार को चलाने की जांच की गयी । इस करार के उपबंधों का पुनर्विलोकन इस करार के तीसरे वर्ष में इसके पहले के वर्षों में कार्य को ध्यान में रख कर, किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंधान संस्था

११३१. { **श्री वारियर :**
श्री वाजी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन : }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री** २० दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंधान संस्था में प्राप्त किसी परिणाम को नारियल के छिलके के तन्तुवेचन[1] में प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंधान संस्था में अब तक किये गये अध्ययनों से प्राप्त जानकारी को इस प्रक्रम पर नारियल के छिलकों के तन्तुवेचन में प्रयोग नहीं किया जा सकता । इस बारे में और जांच-पड़ताल की जा रही है ।

[1]Retting

केरल के लिये कच्चा लोहा और रद्दी लोहा

१९३२. { **श्री वारियर :**
श्री दाजी
श्री वासुदेवन नायर
श्री मे० क० कुमारन }

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६३–६४ में केरल राज्य को कच्चे लोहे और रद्दी लोहे का आबंटन राज्य में फाउंड्रियों की मांग और क्षमता से बहुत कम हुआ; और

(ख) यदि हां, तो संभरण में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). केवल केरल में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में उद्योगों के लिये कच्चे लोहे की कमी है । वर्ष १९६३–६४ में कच्चे लोहे की कुल उपलब्धता का अनुमान लगभग १२ लाख टन है जब कि मांग का अनुमान २० लाख टन से भी ऊपर है । अत: सभी राज्यों की थोड़ी थोड़ी मांग ही पूरी की जा सकती है । कमी का मुख्य कारण यह है कि कच्चे लोहे (फाउंड्री ग्रेड) की मांग निरन्तर बढ़ रही है लेकिन इसकी उपलब्धता में से ही अनुरूप से वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्रों में जिन कई योजनाओं को कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिये गये थे उनमें आशा के अनुरूप काम नहीं हुआ । यद्यपि कच्चे लोहे का देशीय उत्पादन बढ़ा कर और आयात कर के संभरण में वृद्धि करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं, जो भी मात्रा उपलब्ध होती है उसे सभी राज्यों में बराबर बराबर वितरित कर दिया जा रहा है ।

इस समय गलाये जाने वाले रद्दी लोहे पर कोई वितरण अथवा मूल्य नियंत्रण नहीं है । (इसमें वे पिन्ड शामिल नहीं हैं जो कच्चे लोहे के कोटे में शामिल हैं) ।

होजियरी उद्योग

११३३. { **श्री महेश्वर नायक :**
श्री विभूति मिश्र }

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में होजियरी उद्योग ने निर्यात व्यापार में कितना योग दिया;

(ख) क्या इसके विदेशी व्यापार को बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) वर्ष १९६१ और १९६३ के बीच होजियरी (सभी कपड़े) वस्तुओं का भारत से निर्यात निम्न प्रकार रहा :

होजियरी (सभी कपड़े) का निर्यात	आंकड़े लाख रुपयों में		
	१९६१	१९६२	१९६३†
सूती	१४.४	९.६	८.५
ऊनी	१६.१	२०.३	८२.९
रेशमी	२.७	५.७	१०.५
आर्ट सिल्क . .	०.४	१.२	०.५
अन-स्पेसिफाइड . .	४.१	४.६	७.८
पोस्ट पार्सल	१२.५	१२.६*	३४.७*

(ख) जी, हां ।

(ग) होजियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये सामान्यत: निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

१. (१) केरल होजियरी वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् की एक उप-समिति स्थापित की गयी है । यह उप-समिति समय समय पर होजियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करती रही है ।

(२) परिषद् भी विभिन्न देशों में मंडी की स्थिति का पता लगाती है, संभावित मांग का पता लगाती है और सम्बन्धित आंकड़े निर्यातकों को दे दिए जाते हैं ।

(३) परिषद् के एक प्रतिनिधि को भी मध्य-पूर्व एशिया में दौरे पर भेजा जा रहा है ताकि मंडी की स्थिति का घटनास्थल पर ही अध्ययन किया जा सके और इस देश से होजियरी वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जा सके ।

†नवम्बर, १९६३ तक

*जुलाई, १९६३ तक

२. ऊनी वस्तु निर्यात संवर्द्धन पेनल होज़ियरी उद्योग के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल विदेशों में उत्पादन और पैकिंग के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करने के लिये प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ताकि होज़ियरी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जा सके।

३. होज़ियरी उद्योग फेडरेशन से होज़ियरी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये एक १० वर्षीय योजना बनाने को कहा गया है।

रांची में भारी मशीनरी औज़ार परियोजना तथा ढलाई और [illegible] का कारखाना

११३४. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चैकोस्लोवाकिया के ऋणों से बनाये जाने वाले ढलाई और गढाई कारखाने, रांची के तीसरे क्रम तथा भारी मशीनी औजार परियोजना, रांची में क्या प्रगति हुई है?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : भारी मशीनी औजार परियोजना रांची २६–५–६३ को परियोजना प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया गया है तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने ३० मई, १९६३ को मैसर्स टैक्नोएक्सपोर्ट प्रेग से ३.०५ करोड़ रुपये के मूल्य के संयंत्र तथा उपकरणों के संभरण के लिए चैकोस्लोवाकिया से संविधा हुई है। प्रविधिक सहयोग तथा डिजाइन के लिए करार करने के संबंध में बातचीत हो रही है। चैकोस्लोवाकिया के अतिरिक्त अन्य देशों से उपकरणो के संभरणो के लिये विश्व भर से टैंडर मंगाये गये हैं। इनकी जांच हो रही है।

कारखाने के स्थापना स्थान को समतल बनया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालियों का निर्माण ८० प्रतिशत हो चुका है।

भवन का नक्शा तथा निर्माण संबंधी अन्य कार्य हो रहे हैं तथा भवन निर्माण सामग्री मंगाई जा रही है। उत्पादन भवन के निर्माण के लिये टैंडर मंगाये गये हैं।

ढलाई और गढ़ाई का कारखाना (तीसरा क्रम) रांची : २९ मई, १९६३ को कारखाने के तीसरे क्रम के प्रथम क्रम के लिए परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार किए गए हैं और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और मैसर्स टैक्नोएक्सपोर्ट प्रेग, से ३० मई, १९६३ को ३.०२६ करोड़ रुपये के मूल्य के संयंत्र तथा उपकरणों के संभरण के लिये चैकोस्लोवाकिया से संविदा हुई है। मैसर्स टैक्नो-एक्सपोर्ट, प्रेग से चैकोस्लोवाकिया से २.२३ करोड़ रुपये के ६००० टन प्रेस तथा सहायक उपकरण के संभरण का करार २५ फरवरी, १९६४ को हुआ।

भवन तथा अन्य निर्माण कार्य के नकशे आदि बनाये जा रहे हैं।

गोला बारूद का आयात

११३५. श्री गु० सिं० मुसाफिर : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोला बारूद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार आयात नीति पर पुनर्विचार करने का तथा एल जी और एस० जी० के कारतूसों और पिस्तोलों, रिवाल्वर तथा राइफलों की गोलियों के स्थापित आयात कर्ताओं को उदारता से लाइसेंस देने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) स्थापित आयातकर्ताओं का कोटा पूरा हो चुका है परन्तु राज्य व्यापार निगम कुछ आयात का प्रबंध कर रहा है ।

(ख) आगामी लाइसेंसिंग अवधि अप्रैल, १९६४ मार्च, १९६५ के लिये आयात नीति बनाने के बारे में गोला बारूद समेत सभी वस्तुओं की वर्तमान आयात नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

Mineral Deposits in U. P.

1136. **Shri Vishwa Nath Pandey** Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that mineral deposits have been found in Jhansi and Banda district (Uttar Pradesh) :

(*b*) if so, the names of the minerals; and

(*c*) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri C. Subramaniam) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Workable deposits of clays and glass sands have been recorded by the Geological Survey of India in Banda and of pyrophyllite in Jhansi districts. Occurrences of iron ores, lead, limestones, copper, gypsum, ochres, felspars, bauxite and fuller's earth which are of no economic importance have also been recorded in these districts.

(*c*) Detailed geological investigations of Glass sand and Pyrophyllite deposits are being conducted by the Directorate of Geology and Mining of the Government of Uttar Pradesh who are also taking steps to regulate and improve the mining of these minerals.

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गैट)

११३७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेवा में अल्प विकसित देशों के हितों की सुरक्षा के लिए हाल में हुई प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) के ढांचे में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पर भारत ने बल दिया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने किन परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) इस मांग पर प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) प्रशुल्क तथा व्यापार सामान्य करार के व्यापार तथा विकास के संबंध में एक अध्याय जोड़ने के संबंध में भारत के प्रस्ताव की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०--२५५७/६४**] ।

(ग) प्रशुल्क तथा व्यापार सामान्य करार के सुधार के लिये भारत तथा अन्य देशों के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

भारत के भूतत्वीय परिमाप का पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय

११३८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण क्षेत्रीय सर्किल का विभाजित करके भारत के भूतत्वीय परिमाप के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय का शुरू किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थापित होगा ?

इस्पात, और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य कार्यालय के स्थापना स्थान का अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय की मंत्रणा समिति

११३९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के उत्पादन, परिवहन और वितरण के लिये उनके मंत्रालय में कितनी मंत्रणा समिति स्थापित हैं ;

(ख) समितियों में कौन कौन तथा कितने सदस्य हैं और उनकी सदस्यता अवधि कितनी है

(ग) क्या संस्थावार कोयले के उत्पादकों का उनमे प्रतिनिधित्व है ; और

(घ) क्या समितियों में कोयला खान मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है ;

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**) : (क) ऐसी तीन मंत्रणा समितियां हैं अर्थात,

(एक) कोयला मंत्रणा परिषद

(दो) कोयला उत्पादन तथा वितरण मंत्रणा समिति ; तथा

(तीन) कोयला परिवहन मंत्रणा समिति

(ख) इन समितियों की सदस्य संख्या आदि संबद्ध विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० --२५२९/६४]** ।

(ग) और (घ) जी हां ।

हल्दिया बन्दरगाह में इस्पात कारखाना

११४०. **डा० रानेन सेन** :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में हल्दिया बन्दरगाह मे इस्पात कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम : (क) जी नहीं। निकट भविष्य में नहीं परन्तु इस्पात, कच्चे लोहे की क्षमता भविष्य में बढ़ाने के लिए संभव स्थापना स्थान हल्दिया बन्दरगाह को भी समझा जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्चे पटसन की खरीद

११४१. { **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० साराधीश राय : }

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(**क) इस वर्ष अब त**क राज्य व्यापार निगम तथा मिलों ने कितना कच्चा पटसन खरीदा था ; और

(ख) जनवरी, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में आसाम बारम तथा अन्य किस्मों के क्या मूल्य थे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जुलाई १९६३—फरवरी १९६४ में मिल की खरीद ६१ लाख गाठें (अनुमानतः)

(ख) एक विवरण संबद्ध है ।

विवरण

विभिन्न स्थानों में के बारे में पटसन के मूल्य

(प्रति क्विंटल रुपये)

तिथि	पश्चिम बंगाल कलकत्ता	आसाम नवगांव	बिहार पूर्निया	उड़ीसा दानपुर
२७-१-६४ . . .	विपणन	बन्द हो गया		
२८-१-६४ . .	७९.०४	७३.६८	६४.९४	७३.६८
२९-१-६४ . . .	७९.०४	७३.६८	६४.९४	७३.६८
३०-१-६४	७९.०४	७३.६८	६४.९४	७३.६८
३१-१६४	७९.०४	७३.६८	६४.९४	७३.६८

पंजाब में लौह अयस्क

११४२. { **श्री राम हरख याद :**
श्री हेम राज :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पंजाब के रामपुर तथा कलू मे लोह अयस्क होने की संभावना की खोज करने के लिए अमरीका की कुल्जियान कारपोरेशन से करार करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा परियोजना में सरकार का अंशदान क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिर्जापुर में सीमेंट का कारखाना

११४३. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले मे एक नया सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है

(ग) परियोजना मे केन्द्र सरकार का अंशदान कितना है ; और

( ) इसके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ।

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश मे मिर्जापुर जिले में बलियान मे एक नया सीमेंट का कारखाना स्थापित करने जा विचार कर रही है ।

(ख) परियोजना का व्यय अनुमानतः ६ करोड़ रुपये है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता वित्तीय उद्योग योजनाओं के लिए प्रयुक्त राज्य सरकारों को विविध विकास ऋण के रूप मे दी जाती है ।

(घ) सीमेंट कारखाना १९६४–६७ में चालू होने की आशा है ।

शिशु खाद्य उत्पादन

११४४. श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिशु खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये नये लाइसेंस देने की सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न विचाराधीन हैं ।

खादी कातने वाले

११४५. श्रीमती लक्ष्मी बाई : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी कातने वालों को राज सहायता और मकान निर्माण ऋण देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कताई करने वालों मे से जिन लोगों को लाभ होगा उनकी प्रतिशतता क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की परम्परागत और अम्बर चरखे के वितरण में राज-सहायता देने की एक योजना है परन्तु कताई करने वालो को मकान-निर्माण ऋण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

मोटरगाड़ी निर्माण के लक्ष्य

११४६. { श्री हरिश्चन्द्र माथर :
श्री मान सिंह पृ० पटेल :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना में मोटरगाड़ी के निर्माण के लक्ष्यों को पुनरीक्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा और औचित्य क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिट्टी के बर्तनों का निर्यात

११४७. श्री राम हरख यादव : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमरीका, आस्ट्रेलिया और मध्य-पूर्व में भारतीय मिट्टी के बर्तनों की काफी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस वस्तु के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इस समय इन देशों में भारतीय मिट्टी के बर्तनों की मांग अधिक नहीं है ।

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत मिट्टी के बर्तनों के सभी क्षत्रों में अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ।

मिट्टी के बर्तनों के निर्यात को बढ़ाने के ख्याल से रासायनों और अन्य सम्बन्धित उत्पादों के लिये निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत मिट्टी के बर्तनों के निर्यात के बारे में नौतल पर्यन्त निशुल्क निर्यात मूल्य के २० प्रतिशत तक कच्चे माल के आयात की अनुमति देकर प्रोत्साहन दिया गया है। 'चमकदार टाइलों' के बारे में यह प्रोत्साहन नौतल-पर्यन्त-निशुल्क निर्यात मूल्य का ४० प्रतिशत है।

क्रयावक्रय सम्बन्धी कानून

११४८. श्री यशपाल सिंह : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि विधि आयोग ने अपने एक प्रतिवेदन में सिफारिश की है, क्या सरकार क्रयावक्रय सम्बन्धी कानून बनायेगी; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक को पुरःस्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस मामले में अन्तिम निर्णय होते ही विधेयक पुरःस्थापित कर दिया जायेगा।

पंजाब के लिए कच्चा लोहा

११४९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में छोटे उद्योगों के लिये कच्चा लोहा प्राप्त करने में अभी भी बड़ी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे लोहे के संभरण में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) चालू वर्ष में अब तक कितने कच्चे लोहे का आयात किया गया ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जी, हां। केवल पंजाब राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी उद्योगों के लिये कच्चे लोहे की कमी है। वर्ष १९६३–६४ में कुल १२ लाख टन कच्चा लोहा उपलब्ध होगा जब कि अनुमानित मांग २० लाख टन से अधिक है। अतः सभी राज्यों की थोड़ी थोड़ी मांग पूरी करना ही सम्भव हो सकेगा। यद्यपि देशीय उत्पादन में वृद्धि करके और कच्चे लोहे का आयात कर के संभरण अधिक करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं, जो भी मात्रा उपलब्ध है उसको सभी राज्यों में बराबर बराबर बांटा जा रहा है। वर्ष १९६३–६४ में कोई भी कच्चा लोहा आयात करना सम्भव हीं हुआ यद्यपि वर्ष १९६४–६५ में इसके आयात करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

चौथी योजना में सीमेंट का उत्पादन

११५०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर दया गया है; और

(ख) यहां तो सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र--दोनों के लिये पृथक पथक क्या लक्ष्य रखा गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

१९५१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम और अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड की निर्यात के लिये हस्तशिल्प की वस्तुओं की किस्म का प्रमापीकरण करने की एक योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). हस्तीशल्प और हथकरघा निर्यात निगम के स्टैण्डर्ड किस्म के पीतल के कलापूर्ण बर्तन निर्यात करने को सुनिश्चित करने के लिये स्टैण्डर्ड प्रकार के पीतल के बिलेट संभरण करने की एक योजना बनायी है। इसने मुरादाबाद में एक सामान्य सुविधा केन्द्र खोला है ताकि तांबे और जस्ता धातुओं को ६० से ४० के स्टैण्डर्ड प्रकार में मूलतः कच्चा माल संभरित किया जा सके। केन्द्र पीतल के कलापूर्ण बर्तनों का जहाज पर लदान से पूर्व भी निरीक्षण करता है।

अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड के किस्म नियंत्रण प्रविधिक समिति ने निर्यात के लिये हस्तशिल्प की कुछ वस्तुओं के लिये स्टैण्डर्ड नियत किये हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारियों के लिए विद्यालय

११५२. { **श्री कपूर सिंह** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग बम्बई के विकास पदाधिकारियों (उद्योग) के लिये अभी भी कितने विद्यालय हैं और वे किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या ऐसा एक विद्यालय केवल लगभग २५ विकास पदाधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिये राजेन्द्रनगर, हैदराबाद में चल रहा है जिसमें आन्ध्र प्रदेश का एक भी व्यक्ति नहीं है; और

(ग) इन विद्यालयों में से प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) चार :

(१) नीलोखेड़ी (पंजाब)

(२) राजेन्द्रनगर (आन्ध्र प्रदेश)

(३) वर्धा (महाराष्ट्र)

(४) कल्लुप्पटी (मद्रास) ।

(ख) राजेन्द्रनगर स्थित विद्यालय में इस समय ४७ विकास पदाधिकारी (उद्योग) प्रशिक्षण पा रहे हैं । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिये किसी व्यक्ति को नहीं भेजा ।

(ग) ब्योरा एकत्र किया जा रहा है और यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

आन्ध्र प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

११५३. { श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, हैदराबाद कुछ लाख रुपयों के बकाया ऋण को वसूल करने में असमर्थ रहा है और फिर भी यह दोषियों को और ऋण दे रहा है;

(ख) क्या इस बोर्ड के लेखे कई वर्षों से लेखापरीक्षित नहीं हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) जी, हां;, १८.६८ लाख रुपये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बादली औद्योगिक बस्ती

११५४. श्री यशपाल सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित उद्योगों ने, जिन को बादली औद्योगिक में बस्ती शेड दिये गये थे, अपनी मशीनें बादली औद्योगिक बस्ती में स्थानान्तरित कर ली हैं;

(ख) क्या उनको उत्पादन आरम्भ करने के लिये आवश्यक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी का उपबन्ध कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सात उद्योगों में से, जिनको बादली में शेड दिये गये थे पांच ने अपनी मशीनें पूर्णतः अथवा अंशतः औद्योगिक बस्ती में स्थानान्तरित कर ली हैं ।

(ख) बिजली देने के लिये जिनकी दिल्ली प्रशासन से सिफारिश की है उन पर दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और इन्होंने तत्काल बिजली देने के आदेश

जारी कर दिये हैं। औद्योगिक बस्ती में पानी के संभरण के लिये एक पम्पिंग स्टेशन लगाया गया है और वह चालू होने वाला है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वातानुकूलन उद्योग

११५५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत की वातानुकूलन और शीतोष्ण नियंत्रण परिषद् के प्रध्यक्ष के हाल के इस विवरण की ओर आकृष्ट किया गया है कि कच्चे माल की कमी के कारण देश में वातानुकूलन उद्योग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के कारण उद्योग को किस हद तक हानि हो रही है; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को देखते हुए अक्तूबर, १९६२—मार्च, १९६३ से कच्चे माल/पुर्जों के लिये निर्बाध विदेशी मुद्रा के आबटन को घटा कर ५० प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि आयातित पुर्जों पर कम निर्भर रहा जाये। घरेलू शीतोषण नियंत्रकों के लिये सील्ड यूनिट और कन्ट्रोल देश में ही बनाये जा रहे हैं और कक्ष वातानुकूलन-यंत्रों के लिये सील्ड यूनिटों का इस वर्ष के अन्त तक एक लाइसेंसशुदा यूनिट में उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है।

पानी ठंडा करने की मशीनों और वातानुकूलन और शीतोष्ण-नियंत्रण मशीनों के लिये जिन मुख्य पुर्जों और कच्चे माल के आयात किये जाने की आवश्यकता है, वह कम्प्रेसर, कन्ट्रोल, रिले, पाइप और फिटिंग और रेफ़ीजरेन्ट्स हैं। तीन उद्योगों में, जो थोड़ी मात्रा में कम्प्रेसर बना रहे हैं, शीघ्र ही उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन की कुछ और योजनायें भी चालू हो जायें कि क्योंकि उनके पूंजी वस्तुओं के लिये आयात आवेदन पत्र मंजूर कर लिये गये हैं।

महाराष्ट्र में लौह अयस्क निक्षेप

११५६. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चांदा जिले (महाराष्ट्र) में लौह-अयस्क का बड़ा भंडार मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) काफी मात्रा में लौह-अयस्क के निक्षेप होने के बारे में कुछ समय से पता था। भंडार का पता लगाने के लिये हाल के

वर्षों में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने इनकी जांच की है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी कुछ काम किया जा रहा है, जिनका यह दावा है कि उन्होंने इस ज़िले में नये निक्षेपों का पता लगाया है। तथापि, अभी क्योंकि जांच-कार्य पूरा नहीं हुआ है, वे इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते ।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर लोह-अयस्क के निक्षेप हैं जिनमें ६० प्रतिशत लोहा है।

लोहा : भंडार का अनुमान २१० लाख टन लगाया गया है जिसमें ६६·२१ प्रतिशत लोहा है और फासफोरस, सल्फर और टिटेनियम की मात्रा बहुत कम है।

असोला : भंडार का अनुमान ४०६,००० का है जिसमें ६६·६६ प्रतिशत लोहा और ३·८६ प्रतिशत सिलीका है ।

वेवलगांव : भंडार का अनुमान २३०,००० टन का है जिसमें ६१.२ से ६८·७६ प्रतिशत तक लोहा और १.५ से ११.०४ प्रतिशत तक सिलीका है ।

पीपवगांव : भंडार का अनुमान २६४,००० टन का है जिसमें ७१.०५ प्रतिशत लोहा, ४.५ प्रतिशत सिलीका और थोड़ा सल्फर और फास्फोरस है ।

पुसेर : भंडार का अनुमान २६८,००० टन का है जिसमें ६३.३३ से ६६.६४ प्रतिशत तक लोहा, ०·८३ से २·७१ प्रतिशत तक सिलीका और ०·३१ से ०·२२ प्रतिशत तक फोसफोरस है ।

आन्ध्र प्रदेश में ऊनी तथा खादी कपड़े का उत्पादन

११५७. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३-६४ में आन्ध्र प्रदेश में कुल कितना ऊनी तथा खादी कपड़ा बनाया गया ;

(ख) उसकी लागत क्या है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में आन्ध्र प्रदेश खादी बोर्ड को कितना अनुदान दिया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ३०-९-१९६३ तक ऊनी-खादी और सूती-खादी का उत्पादन क्रमशः ७·६२ लाख वर्ग मीटर और २६·५ लाख वर्ग मीटर रहा।

(ख) ऊनी-खादी २५·३१ लाख रुपये और सूती-खादी ७६.४१ लाख रुपये।

(ग) ३१-१२-१९६३ तक ६·६७ लाख रुपये ।

आयात-निर्यात परामर्शदात्री परिषद् की बैठक

**११५८. { श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २६ फरवरी, १९६४ को हुई निर्यात-आयात प्रामशदात्री परिषद् की बैठक में किन मामलों पर विचार किया गया ;

(ख) बैठक की मुख्य बातें और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय किये गये और किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) २६ फरवरी, १९६४ को हुई निर्यात-आयात परामर्शदात्री परिषद् की बैठक में सदस्यों से विचारार्थ प्राप्त विभिन्न सुझावों को कार्य-सूची में शामिल किया गया, जिसकी एक प्रति पुस्तकालय में रखी जा चुकी है।

(ख) आयात और निर्यात नीति और प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याओं पर सामान्य चर्चा हुई और निर्यात संवर्द्धन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। परिषद् की बैठक की कार्यवाही की प्रति तैयार होते ही पुस्तकलाय में रख दी जायेगी।

(ग) परिषद् के कृत्य पूणतः परामर्शदात्री हैं और इसकी बैठक में कोई निर्णय नहीं किये जाते। तथापि सदस्यों के विभिन्न सुझावों के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

फोटोग्राफी के कागज का आयात

११५६. { डा० सारादीश राय :
श्री दीदेन भट्टाचार्य :
श्री डा० रानेन सेन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष में, देश-वार, विदेशों से आयात किये गये 'अनकोटेड' फोटोग्राफी के कागज का मूल्य और मात्रा क्या है ; और

(ख) भारत में उनका क्या मूल्य है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य उस फोटोग्राफिक बेस कागज का जिक्र कर रहे हैं जो देश के विभिन्न भागों में फोटो प्रिंटिंग कागज के निर्माताओं द्वारा वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस पर आयात किया जा रहा है। पिछले वर्ष वास्तविक आयात के आंकड़े और मूल्य के बारे में जिस पर इसका आयात किया गया, सम्बन्धित समवायों से पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

११६०. { श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मंत्री २९ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के पुनरीक्षित प्रस्ताव की परीक्षा कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

विदेशों में सप्लाई मिशन

११६१. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या संभरण मंत्री ६ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को और डसेलडार्फ में दो नये सप्लाई मिशन खोलने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संभरण विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) डसेलडार्फ में एक इन्सपेक्शन सेल खोलने का प्रश्न अभी विचाराधीन है । पूर्वी यूरोप में एक ऐसा ही सेल खोलने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Import by Delhi State Central Co-operative Store

1162. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Kachhavaiya :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **International Trade** be pleased to state:

(a) whether the Delhi State Central Co-operative Store has been given permit to import certain goods from foreign countries; and

(b) if so, the details of the goods and quantities imported year-wise ever since the licence was given ?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (a) Yes, Sir.

(b) Statistics of actual imports against individual licences are not maintained but a statement showing the details of the goods and value for which licences were issued to the Delhi State Central Co-operative Store is attached. [*Placed in the Library. See No. LT.* 2527/64].

समवायों का प्रबन्ध और नियंत्रण

११६३. **श्रीमती सहोदरा बाई राय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कितने समवायों का प्रबन्ध और नियंत्रण के लिये अपने अधिकार में लिया है और इस अधिनियम के प्राख्यापन के बाद कितनी अवधि के लिये इनको अपने अधिकार में लिया गया है ; और

(ख) इस अवधि में कितने समवायों को उनके अंशधारियों को सौंपा गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २५२८/६४]

सदस्य की रिहाई

RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे केरल में स्थित मुवत्तुपुझा की उप-जेल के सुपरिन्टेंडेण्ट से १२ मार्च, १९६४ का एक तार प्राप्त हुआ है कि श्री अ० क० गोपालन, सदस्य, लोक-सभा को १२ मार्च, १९६४ को मुवत्तुपुझा की उपजेल से रिहा कर दिया गया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला-खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश कोयला बोर्ड के लेखे के बारे में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ४ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९ में प्रकाशित कोयला-खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५१८/६४]

(२) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिये कोयला बोर्ड के लेखे के बारे में नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५१९/६४]

(३) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५२०/६४]

रबड़ (संशोधन) नियम, रबड़ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य व्यापार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(४) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९० में प्रकाशित रबड़ (संशोधन) नियम, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५२१/६४]

(५) वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ के लिए रबड़ बोर्ड की वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५२२/६४]

(६) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५२३/६४]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं श्री कानूनगो की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(७) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक, की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५२४/६४]

(८) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५२३–६४]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

आठवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड़) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

छियालीसवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय—चाय बोर्ड, कलकत्ता के बारे में प्राक्कलन समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

याचिका का उपस्थापन

PRESENTATION OF PETITION

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : मैं सहकारी समितियों द्वारा चीनी के कारखाने स्थापित किये जाने के बारे में दो याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं घोषणा करता हूं कि १६ मार्च से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(१) पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान ।

(२) निम्नलिखित मंत्रालयों सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :—

सूचना तथा प्रसारण

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

श्रम और रोजगार

प्रतिरक्षा

परिवहन

विधि

अध्यक्ष महोदय : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने मुझे लिखा है कि चूंकि उन्हें राष्ट्रमंडल व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये १७ तारीख को रवाना होना है इसलिये उन्हें सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के स्थान पर अपने मंत्रालय की मांगें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय ।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये अनुमति दी जाती है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रतिरक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांगों पर चर्चा आगामी सप्ताह में होगी परन्तु अभी तक इस मंत्रालय का प्रतिवेदन परिचालित नहीं किया गया है हालांकि दो, तीन सप्ताह पूर्व आप ने निदेश भी दिया था कि कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रतिवेदन अवश्य उपलब्ध किये जाया करें। इसका अर्थ यह है कि मंत्रीगण आप के निदेशों की भी परवाह नहीं करते ।

एक अन्य विषय पर आप ने गत सप्ताह कहा था कि क्या हाउस आफ कामन्स द्वारा हमारा पथप्रदर्शन हो सकता है। मैंने इस बीच में हंसर्ड तथा अन्य प्रकाशनों को देखा है . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास सारी जानकारी ले कर आ जायें। हम बैठ कर बातचीत कर लेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का प्रतिवेदन आज माननीय सदस्यों को परिचालित किया जा रहा है।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय

वर्ष १९६४-६५ के लिए पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७७	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय . . .	१६,१८,०००
७८	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	८७,१७,०००
१३५	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	४७,२३,९६,०००

डा० रानेन सेन (कलकत्ता—पूर्व) : मैं जानना चाहता हूं कि आरियन्टालाजी, मुस्लिम वक्फ आदि विषयों को इस मंत्रालय के साथ क्यों जोड़ा गया है जब कि उस का इन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वह १५ मिनट के अन्दर-अन्दर उन्हें प्रस्तुत कर दें और मैं उन्हें प्रस्तुत हुआ मानूंगा।

डा० रानेन सेन : अंग्रेजों के काल में तेल सम्बन्धी नीति अंग्रेजों के हित में ही बनाई जाती थी। भारतवर्ष के स्वतंत्र होने पर उस नीति में कई आमूल परिवर्तन हुए। दामले समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गयीं। भारतीय रिफाईनरीज लिमिटेड एवं आयल इंडिया लिमिटेड स्थापित की गयीं। तेल शोधन एवं तेल और गैस की खोज सम्बन्धी सराहनीय कार्य किये गये। इंडियन आयल कम्पनी ने बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप ७.२८ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बहुत प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। यह सब कार्य भारतीय औद्योगिक विकास के द्योतक हैं।

परन्तु तेल सम्बन्धी जिस नीति का हम अनुसरण करते रहे हैं अब उसमें परिवर्तन आ रहा है। बर्मा शैल, एस्सो और कालटैक्स को अपने अपने तेल शोधन कारखानों की क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गयी है। इस उद्योग में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने की बात कही।

परन्तु यह नीति औद्योगिक नीति संकल्प के विरुद्ध है। इस समय हमारी नीति विदेशी पूंजी और बड़े बड़े व्यापारियों को खुश करने की है। सरकार यह जानते हुए भी कि विदेशी विनियोजक भारत के हित की बात नहीं सोच सकते उन्हीं को प्रोत्साहन देती है। कुछ तेल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हम तेल उद्योग की स्वतंत्रता को गिरवी रख रहे हैं।

पेट्रो-रसायनिक उद्योग के सिलसिले में भी सरकार गैर-सरकारी पूंजी को नियंत्रण दे रही है। इस नीति के कारण यह उद्योग भी विदेशियों के हाथों में आ जायगा और यह बात राष्ट्र के हित में सिद्ध नहीं होगी। इसी प्रकार उर्वरकों के मामले में भी विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहन देने की नीति त्रुटिपूर्ण है।

रसायन उद्योग में विदेशी पूंजी की मात्रा वर्ष १९४८ में ८ करोड़ रुपये थी परन्तु वर्ष १९६० में यह बढ़ कर ३८ करोड़ रुपये हो गई। सरकारी क्षेत्र में विदेशी पूंजी को अत्यधिक स्थान दिया जा रहा है, जैसे मार्क शार्प एन्ड दोहमे हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के साथ सहयोग कर रहे हैं। गोमिया विस्फोटक कारखाने में ८० प्रतिशत पूंजी इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज वालों की लगी हुई है। इसलिये मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह विदेशी पूंजी को देश के औद्योगिक विकास में इतना स्थान दे कर देश के लिये खतरा पैदा न करे। रूस और ईरान तथा कुवैत जैसे देशों ने इस क्षेत्र में भारत को सहयोग का प्रस्ताव किया है। कुवैत यदि हमें तेल देता है और किसी प्रकार का सहयोग देता है तो उस से हमारी तेल सम्बन्धी स्वतंत्रता नीति भी बनी रहेगी और अफ्रीकी तथा एशियाई देशों में एकता की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो पत्र-व्यवहार हमारा ईरान और कुवैत से इस सम्बन्ध में हो रहा था उसका क्या नतीजा निकला।

कृत्रिम रबड़ उद्योग भी विदेशी समवायों के हाथ में दिये जा रहे हैं। एक गैर-सरकारी संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। इन समवायों को अनुमति दी गयी है कि वह बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का आयात कर सकें। यदि बाहर से रबड़ का आयात किया जायगा तो देशी रबड़ के मूल्य गिर जायेंगे और हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

हमारा अनुभव यह रहा है कि विदेशी साम्य पूंजी के देश में आने से धीरे-धीरे राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी साम्राज्यवादियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। सरकार को सी नीति का अनुसरण करना चाहिए जिस से देश का हित हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरी योजना के अन्त तक विदेशी पूंजी से चलने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में तेल का उत्पादन एक समान होगा। सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में तेल का उत्पादन अधिक हो और सरकारी क्षेत्र का प्रभुत्व बना रहे।

सरकार को तेल के क्षेत्र में स्वयं प्रयास करने चाहिएं। रूस, रूमानिया आदि देशों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए और विदेशी पूंजी को देश से निकालने के लिये तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

श्री प० ह० मील (दोहद) : जब से नया राज्य गुजरात बना है वहां पर विद्युत्, परिवहन, सिंचाई तथा कृषि आदि क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में वहां विकास नहीं हुआ।

हमारे राज्य में एक तेल शोधन कारखाने का निर्माण हो रहा है। परन्तु इस क्षेत्र में पेट्रो-रसायनिक उद्योगों सम्बन्धी नीति नहीं बनाई गयी। पेट्रो-रसायनिक उद्योगों को चालू करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। तेल शोधक कारखाने के उप-उत्पादों के बारे में एक निश्चित नीति की घोषणा होनी चाहिए ताकि भावी उद्योगपति उसी के आधार पर उद्योग स्थापित करने के बारे में योजना बना सकें।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गैस के जो मूल्य निर्धारित किये गये हैं वह सर्वथा अनुचित हैं। यह मूल्य अन्य राज्यों के मूल्यों से बहुत अधिक हैं। इस बारे में कई व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा आपत्ति भी की गयी है। हम आशा करते थे कि गैस और तेल के उत्पादन के कारण सस्ता ईंधन मिलने लगेगा और उद्योग पनपेंगे परन्तु इतने ऊंचे मूल्य निर्धारित कर के हमारी आशाओं पर पानी-फेर दिया गया है। कम से कम जिस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन पाये जाते हैं उन्हें इन से लाभ उठाने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि उद्योगों के विकास की दृष्टि से गैस के मूल्य कम किये जायें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहली बार भाषण दे रहे थे इसलिये मैं ने उन्हें पढ़ कर भाषण देने की अनुमति दी। परन्तु पहली बार जो, भाषण, सभा में पढ़ा जाय वह वाद-विवाद की गति बनाये रखने की दृष्टि से संक्षिप्त होना चाहिये।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : इस मंत्रालय को औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग में लाते रहना चाहिए और देश का औद्योगिक विकास करते रहना चाहिए। विदेशी विनियोजन के बारे में जो भय व्यक्त किया गया है मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं।

देश का विकास ईंधन संसाधनों पर ही निर्भर करता है। तेल की खोज सम्बन्धी कार्यों से निश्चय ही देश विकास की ओर अग्रसर होगा।

परन्तु मैं समझता हूं कि जिस गति से खोज सम्बन्धी कार्य होना चाहिए उस गति से यह नहीं हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जिन स्थानों में तेल अथवा गैस पाये जाने की सम्भावना है वहां पर जोरों से कार्य किया जाय।

गुजरात में गैस के मूल्य अधिक नहीं होने चाहिएं चूंकि यह क्षेत्र कोयला खानों से बहुत दूर है।

रसायन उद्योग के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। यह एक अत्यन्त उत्साहवर्द्धक बात है। परन्तु हम में आत्मतुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिए और अग्रेतर विकास के लिये प्रयत्न जारी रखने चाहिएं।

पेट्रो-रसायन एक नयी प्रकार का उद्योग है। वर्ष १९६१ में मंत्रालय ने श्री काने की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी जिस ने पेट्रो-रसायन सम्बन्धी अध्ययन कर के कुछ सिफारिशें की थीं और कुछ लक्ष्य सामने रखे थे जो वर्ष १९६६ तक प्राप्त किये जाने थे। परन्तु इस क्षेत्र में अधिक तीव्र गति से प्रगति करने की आवश्यकता है।

गुजरात के तेल शोधक कारखाने के उप-उत्पादों को प्रयोग में लाने के उद्देश्य से उद्योग स्थापित किये जाने चाहिएं। विशेषकर पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स की ओर ध्यान दिया जाना

चाहिए । गुजरात में लोग उप उत्पादों को प्रयोग में लाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। परन्तु उन्हें यह बताया जाता है कि सरकारी क्षेत्र में ही उद्योग स्थापित किये जायेंगे। सरकारी क्षेत्र का नाम ले कर कार्यवाही करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए । पेट्रो-रसायन उद्योगों के स्थापित करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए । यदि इस काम में ढील की गयी तो वर्ष १९७१ में हमें १४० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का नुक्सान होगा । मंत्री महोदय को इस बारे में चल रही बात को तुरन्त अन्तिम रूप देना चाहिए ।

श्री लीलाधर करकी (नवगांव) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । मैं उन तमाम संगठनो को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने पेट्रोल तथा रसायनों के उत्पादन की दिशा में काय किया है । इन वस्तुओं का देश के विकास और प्रतिरक्षा के मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है । मंत्रालय के पुनर्गठन के बाद तो इस दिशा के कार्य और भी तीव्र हो जायेंगे । मंत्रालय का ध्यान मैं इस बात की ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि प्रतिवेदन में पूरी अपेक्षित जानकारी नहीं की गयी है ।

मेरा यह भी निवेदन है कि अंकलेश्वर और आसाम के तेल क्षेत्र की गैस का प्रयोग करने में अब तक जो प्रगति हुई है थोड़ी है । मेरा यह आग्रह है कि उस गैस की बरबादी रोकने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये । अच्छा हो यदि गोहाटी में घरेलू कामों में गैस का प्रयोग करने के लिए एक संयंत्र लगाया जाय । मुझे खेद हुआ कि शोधनशाला की गैस जल गई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

डीजल और मिट्टी का तेल, इन दो चीजों की मांग बढ़ रही है । इनके उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिये । और इस दिशा की सभी रुकावटों को तुरन्त दूर किया जाय । मेरा मत यह है कि गोहाटी तेल शोधनशाला का तुरन्त अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिये । गोहाटी से सिलीगुड़ी तक उत्पाद सम्बन्धी पाइप लाइन बन चुकी है । आवश्यकता होने पर इसे अन्य उप-भोक्ता स्थानों तक बढ़ाया जा सकता है । गोहाटी तेल शोधनशाला के विस्तार के कई एक कारण हो सकते हैं परन्तु उन सब के कारण सिलीगुड़ी में दूसरा तेल शोधन कारखाना खोला जान चाहिये । सिलीगुड़ी के पहिले विशेषज्ञ समिति ने इस काम के लिए चुना था । इस से पूर्वी क्षेत्रों की भी आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी ।

आसाम के लोगों का विचार है कि गैरसरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उनका कोई भाग नहीं है । न ही सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उनका कोई हाथ है । लगभग यही बात गुजरात पर भी लागू होती है । मेरे विचार में इस दिशा में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये और इस धारणा को दूर किया जाना चाहिये । जहां तक तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रयत्न किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को इस के लिए कमी महसूस न हो । यह भी बहुत जरूरी है कि प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता बढ़ाई जाय और इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाय । इस के अतिरिक्त आसाम के तेल क्षेत्रों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गुजरात में पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित किया गया है, यह अच्छी बात है । आसाम में भी इसी तरह का एक उद्योग स्थापित किया जाना चाहिये ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
७७	१	श्री शिव मूर्त्ति स्वामी	कृषि मशीनरी के लिए तेल सम्भरण की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	२	श्री अ० व० राघवन	रबड़ के विकास के लिए लाइसेंस	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
७७	३	श्री अ० व० राघवन	प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए लाइसेन्स	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
७७	४	डा० म० श्री० अणे	शोधन शालाओं की स्थापना	१०० रुपये
७८	५	डा० म० श्री० अणे	गजेटियरों के पुनरीक्षण सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
७८	६	श्री अ० व० राघवन	केरल में तेल सम्भरण की आवश्यकता	१०० रुपये
१३५	७	श्री रा० बरुआ	नूनमाटी शोधन शाला को जल सम्भरण का आश्वासन	१०० रुपये
१३५	८	श्री रा० बरुआ	नूनमाटी शोधनशाला के लिए अरोमैक्स समस्या	१०० रुपये
१३५	९	श्री रा० बरुआ	नूनमाटी शोधनशाला को काम का आश्वासन	१०० रुपये
१३५	१०	श्री अ० व० राघवन	कोचीन तेल शोधन शाला के काम को आगे बढ़ाना	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री रा० बरुग्रा (जोरहाट) : मैं श्री कबिर का इस मंत्रालय में स्वागत करता हूं । इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय में वह अपने अनुभव से काफी रूह फूंक देंगे । पेट्रोलियम काफ़ी महत्वपूर्ण सामरिक महत्व का रसायन है । प्रतिरक्षा के भी काम आने वाला रसायन है । इसके लिये हमें काफी सचेत और जागरूक रहने की जरूरत है । अमरीका में तो तेल के मालिकों को राज्य की नीति बनाने में काफी हद तक साथ लिया जाता है । हमारी भी स्थिति इस दिशा में काफी अच्छी है । गत बारह वर्षों में तेल नीति का बड़ा ही सावधानी पूर्ण पथ प्रदर्शन किया गया है । और यह स्वाभाविक और स्पष्ट है कि गत छः वर्षों में हमने काफी प्रगति की है । हमारी शोधन क्षमता ४ लाख टन थी और अब ८५ लाख टन हो गयी है । कच्चा तेल निकालने के काम पर काफी जोर दिया गया है ।

इस दिशा में मेरा निवेदन है कि तेल की खोज करने के मामले में विदेशी पूंजी के साथ अधिक सहयोग करने से पूर्व हमें यह अवश्य जान लेना चाहिये कि क्या हम इस सम्बन्ध में जो भी जोखिम है वह उठा सकते हैं । यदि विदेशी सहयोग मांगा जाता है तो निश्चय ही वे लोग भारी उद्योगों में किसी प्रकार का सामान्य हित चाहेंगे । यह मामला बहुत नाजुक है उसकी बड़ी गम्भीरता से जांच करनी चाहिये । यदि हम विदेशी मुद्रा बचाना चाहते हैं, तो हमें उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार काम करना होगा । जहां तक बरौनी और गोहाटी तेल शोधक कारखानों का सम्बन्ध है, वहां अधिक गहन कार्यवाही करना आवश्यक है । वे अनुसूची से बहुत पीछे हैं । गोहाटी तेल शोधक कारखाने के सम्बन्ध में, आज भी (सेल्फ सरकुलेटिंग वाटर सप्लाई) स्वयं विभाजन जल व्यवस्था की आधुनिक प्रणाली अपनाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है ।

मेरा यह भी कहना है कि जो लोग तेल शोधक कारखानों के प्रबन्ध के लिये जिम्मेदार हैं, उनमें जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना नहीं है मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिये और देखना चाहिये कि कारखानों का प्रबन्ध उचित लोगों के हाथ में हो । यह भी कहा गया है कि विदेशी उपक्रमों की गोहाटी उत्पादों की बिक्री सम्बन्धी करार में कुछ कमी है । सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये और कमी दूर करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये ।

इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती कि हमारी औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में पेट्रोलियम उद्योग का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ही । डा० हेनी ने पांच पेट्रोलियम कम्पनियां बनाने का सुझाव दिया है । उनमें से दो का तेल मुनाफा भी आरम्भ हो गया है । मेरा विचार है कि बाकी काम भी शीघ्र आरम्भ हो जायेगा । विस्तृत क्षेत्र में खोज करने की बजाय हमें अधिक पेट्रोलियम उद्योग बनाने चाहियें । उर्वरको के मामले में भी हम अपनी आवश्यकता से काफी पीछे हैं । नंगल उर्वरक कारखाने ने जो काम किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । लेकिन सिन्दरी उवरक कारखाने की हालत ठीक नहीं है । सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । हम और उर्वरक संयंत्र भी बना रहे हैं इसलिए यह सच है कि हम अपनी क्षमता और आवश्यकता का उचित अनुमान तैयार करे ।

पेट्रोलियम उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उसका भी उचित अनुमान लगाना चाहिये । और यह उनकी स्थापना से काफी पहिले कर लिया जाना चाहिये था । मैं इस बात पर भी

जोर दूंगा कि जिन प्रदेशों में ये उद्योग स्थापित हों, वहां उचित प्रशिक्षण की भी सुविधायें होनी चाहिये। प्रतिवेदन से पता चलता है कि प्रशिक्षण की कुछ व्यवस्था है परन्तु वह काफी नहीं है। स्थानीय लोगों के असन्तोष को कम करने का एक ही ढंग है कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाय ताकि वे इन स्थापित होने वाले उद्योगों से लाभ उठा सकें।

श्री ल० न० भंजदेव (क्योंझर) : गुजरात में तेल का पता लगाने का कार्य बहुत सराहनीय है, परन्तु उन क्षेत्रों में कार्य ठीक से नहीं हो रहा। आसाम में तेल की खोज करने का जो काम योगोस्लाविया की एक कम्पनी को दिया गया है। इस काम के लिये आयल इंडिया के बुद्धिमान व्यक्तियों से मंत्रालय को काम लेना चाहिए था। केवल उसी क्षेत्र में नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी तेल की खोज की गति तेज करना अनिवार्य था। अशोधित तेल के लिए, जो शोधन कार्यों के लिए चाहिए, हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए ।

कोचीन तेलशोधन करार के बारे में सरकार को बहुत आत्म तुष्ट और प्रसन्न नहीं होना चाहिए। इस करार को नमूने का करार बताया गया है और शायद मद्रास और हल्दिया में बनने वाले तेल शोधन कारखानों के लिए इसी नमूने को अपनाया जायेगा। इस करार में अधिक लचीलापन नहीं है और संभव है कि इस खण्डों की कट्टरता हमारे आर्थिक हितों के विरुद्ध रहे। जिन कुछ पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करने को आवश्यकता है वे हैं मध्यम डिस्लक्रीज मैसस फिलिप एण्ड कम्पनी से संयंत्र की खरीद, प्रबंध का प्रश्न अशोधित तेल के बेरल पर शोधन लाभ की मात्रा का प्रश्न, लाभों का प्रत्यापण और उनके उत्पादों के लिए बिक्री क्षेत्र निर्धारित करना।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को मजबूत करना चाहिए। सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या अभी समय नहीं आया है कि हम हिन्दुस्तान स्टील के आधार पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की नियंत्रण नीति के अधीन स्वायत्तशासी प्रादेशिक संघ बनायें। सरकार को उड़ीसा में एक उवरक संयंत्र बनाना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि तेल मंत्रालय एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिससे प्रगति की पूरी आशा की जा सकती है।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : मैं इस मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। आशा करता हूं कि मंत्रालय अपने कर्त्तव्य को भली प्रकार से पूरा कर लेगा। तेल के लिए खोज का कार्य होना चाहिए। समाचार मिले हैं कि पकला से कोचीन तक समुद्र तट पर तेल मिलता है। उस क्षेत्र में कुछ खोज कार्य होना चाहिये। देश में संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन का प्रश्न एक प्रश्न है जिससे ६६००० से अधिक वे परिवार प्रभावित हैं जो रबड़ बागान उद्योगों में लगे हुए हैं। यह उद्योग अधिकतर केरल में है। संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने से पहले हमें उद्देश्यपूर्वक इस बात को देखना चाहिए कि क्या हम देश के लिए अपेक्षित मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन नहीं कर सकेंगे। इसका कोई कारण नहीं है कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन प्रत्यशित रूप में नहीं होगा। कुछ भी हो, लाइसेंस देने से पहले रबड़ बोड का मत अवश्य लिया जाना चाहिए।

मैसर्स सिन्थैटिक्स एण्ड कैमिकल्स द्वारा बनाई गयी संश्लिष्ट रबड़ की कीमत भारत में उपलब्ध प्राकृतिक रबड़ की कीमत से बहुत ज्यादा है और संशिल्ष्ट रबड़ की कीमत से भी ज्यादा है जो हम आयात किया करते थे। उस कम्पनी की पूंजीगत लागत १८ करोड़ से अधिक हो गयी है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

व्यक्तिगत तौर पर निर्माताओं को प्राकृतिक रबड़ आयात करने को अनुमति देने की पद्धति में परिवर्तन करना चाहिये । रबड़ बोर्ड या राज्य व्यापार निगम अपेक्षित मात्रा में रबड़ का आयात कर सकता है और फिर उसे निर्माताओं की आवश्यकता के अनुसार उनमें बांटा जा सकता है । इस सम्बंध में समन्वित नीति अपनानी चाहिये ताकि देश के हजारों छोटे रबड़ बागान स्वामियों के हितों को हानि न हो ।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : मैं इस मंत्रालय के कार्य की सराहना करता हूं । इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है । देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में तेल का बड़ा भारी हाथ होता है । गुजरात और आसाम में जो भारी प्रयत्नों के बाद तेल का पता लगाया गया है वह ऐसी बात है जिसके लिए मंत्रालय को मुबारकबाद दी जानी चाहिए । तेल का पता करने के बाद यह भी जरूरी था कि शोधनशालाओं की स्थापना की जाये । ५, ६ शोधनशालायें काम कर रही हैं । इस संदभ में मेरा यह निवेदन है कि सभा को यह बताया जाना चाहिए कि हमारे देश में तेल की कुल कितनी आवश्यकता होगी जिससे कि हम आवश्यक वस्तुओं में आत्म निर्भर हो जायेंगे ।

गैर सरकारी तेल शोधक कारखाने भी कार्य कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश की आवश्यकता कितनी होगी और हम तेल के क्षेत्र में कब तक स्वतंत्र हो जायेंगे ?

हमारे लिए इस क्षेत्र में विदेशी सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है । किन्तु इसकी शर्तें इस प्रकार की नहीं होनी चाहियें जिससे हमारी प्रभुसत्ता पर आंच आये, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े अथवा वे लोग हमारी अर्थ व्यवस्था में कोई दृढ़ स्थान बना लें ।

रसायन के संबंध में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं । अतः मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा ।

प्राच्य विद्याविशारदों का अधिवेशन जो हाल ही में यहां पर हुआ एक बहुत बड़ी सफलता थी । सम्मेलन हमारे यहां के कायकर्ताओं के दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है ।

इंडियन गजेटियर का संशोधन करके इससे फिर से प्रकाशित किया जाना चाहिये । क्योंकि यह ६०-७० वष पहले प्रकाशित हुआ था । और तब से वस्तुस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है । यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति को सोंपा जाये जिसका दृष्टिकोण उचित और भारतीय हो । जो सत्य का सामना कर सके चाहे यह कटु ही क्यों न हो ।

इस संबंध में एक समिति स्थापित की गई थी जिसने दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं । उनमें भारतीय दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखा गया । ऐसी समितियों में भारतीय इतिहास में पारंगत भारतीय मनोवृति का कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिये ।

मैंने बम्बई के जिला गजेटियर पढ़े थे । मैंने देखा कि उनमें इतिहासिक तथ्यों की अवेहलना की गई है । राज्यों को जिला गजेटियर प्रकाशित करने की अनुमति न दी जाये जब तक एक केन्द्रीय निकाय द्वारा उनका निरीक्षण न कर लिया जाय ।

अन्त में इस विभाग को इसकी सफलताओं के लिये बधाई देता हूं और इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Deputy Speaker, I have to make a submission. Thousands of persons suffering from rising prices, starvation and famine are standing before the gate of Parliament House. I submit that the House should be adjourned and the hon. Members and the Leader of the House should listen to their grievances.

Mr. Deputy Speaker : He may resume his seat.

Shri Ram Sewak Yadav**

Mr. Deputy Speaker : यह कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav : I will make a submission till there is no quorum**.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : वह बिना सूचना दिये कोई बात नहीं उठा सकते। गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई जा रही है।

Shri Ram Sewak Yadav : You may kindly listen to me till the quorum is complete**

उपाध्यक्ष महोदय : खेद की बात है कि माननीय सदस्य बोले जा रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : It is an important matter. The House should be adjourned.

Mr. Deputy Speker : It cannot be done in this way.

Shri Ram Sewak Yadav : I would request you kindly to listen to me....

Mr. Deputy Speaker : Order, order.

Shri Ram Sewak Yadav : You should at least listen to me (*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ नहीं जाते तो मुझे गम्भीर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

Shri Ram Sewak Yadav**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कायवाही के वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav : It is an important matter...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। अतः वे सभा से उठ कर चले जायें।

इस समय श्री राम सेवक यादव सभा से उठ कर चले गये

Shri Ram Sewak Yadav then left the House.

Shri Kishen Pattnayak : I rise to a point of order. You have just ruled for expulsion of these remarks from the proceedings of the House. How the proceedings could continue when there was no quorum ?

*कार्यवाही के वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय गणपूर्ति है। कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठता।

Shri Kishen Pattnayak : I would walk out in protest.

इस समय श्री किशन पटनायक सभा से उठ कर चले गये

Shri Kishen Pattanayak then left the House.

Shri Bagri : Those who are rejoicing should not forget that the day would come when the suffering and *hunger-striken* masses would tar their faces also as they are now doing with the statue of Lord Irwin. Then they will come to their senses.

इस समय श्री बागड़ी सभा से उठ कर चले गये

Shri Bagri then left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। श्री अलगेशन।

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : पहले दो अवसरों पर बजट पर चर्चा के दौरान मैंने सभा के सम्मुख नहीं और विद्युत के संबंध में जानकारी रखी थी। अब समय बदल गया है और मैं अब रसायन और पैट्रोल रसायन के संबंध में कुछ कहूंगा।

रसायन उद्योग की परिभाषा करना सरल नहीं है। सारे गैर सरकारी उद्योगों को रसायन उद्योग के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इस उद्योग में १०,००० से अधिक रसायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें हमेशा उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त पदार्थ ही निर्मित नहीं होते। बीच के पदार्थ भी, जिनसे अन्य पदार्थों का निर्माण होता है, निर्मित होते हैं। अतः जनता इस उद्योग से अधिक परिचित नहीं है। घर में काम आने वाले पदार्थों से लेकर उवरक, विस्फोटक, इंधन आदि का निर्माण इस उद्योग के अन्तर्गत होता है। १९५९ में इस उद्योग के अन्तर्गत २२५ करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पाद तैयार हुये, १९६३ में लगभग ४५० करोड़ रुपये के मूल्य के।

पैट्रोल रसायन उद्योग का विकास गत कुछ वर्षों में ही हुआ है। यह उन उद्योगों में से है जिनके जानकार संसार में अधिक नहीं हैं। पैट्रोल रसायन पदार्थों का आयात १९६५-६६ में लगभग ५१ करोड़ रुपये के मूल्य का होगा और १९७०–७१ में अनुमानतः १४० करोड़ रुपये के मूल्य का। यदि हमें विदेशी मुद्रा बचाना है तो यह आवश्यक है कि देश में इस उद्योग का विकास किया जाये। इस दृष्टि से हमारे पास विदेशी सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। यह सहयोग प्राप्त करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि नियंत्रण हमारे हाथ में रहे।

काने समिति और हेनी समिति ने देश में इस उद्योग के विकास के सम्बन्ध में अध्ययन किया था। हेनी समिति ने सुझाव दिया है कि भारत में पैट्रोलियम रसायन के उद्योग पांच स्थानों पर, बम्बई, गुजरात, दक्षिण भारत, बरौनी और हलदिया में स्थापित किये जायें। अब हमें व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाना है। बम्बई क्षेत्र में दो गैर सरकारी कम्पनियों को इस सम्बन्ध में लाइसेंस दिये जा चुके हैं। एक अन्य कम्पनी को इस आशय का लाइसेंस दिया जा चुका है। सदस्यों ने कहा है कि इस कार्य में शीघ्रता लाई जाये। किन्तु मेरा निवेदन है कि यह क्षेत्र हमारे लिये नया है। हम गलतियां करना नहीं चाहते। इसलिये सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। फिर भी यथा-संभव शीघ्रता की जा रही है। गुजरात में पहली कम्पनी के शीघ्र ही स्थापित किये जाने की संभावना

है। सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया जा चुका है और ब्यौरे के सम्बन्ध में, अर्थात विदेशी पूंजी और भारतीय पूंजी के अनुपात आदि के सम्बन्ध में वार्ता चल रही है। इस कम्पनी में १.५८ करोड़ रुपये लगाये जायेंगे।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक लाभ अर्जित होना चाहिये जिससे करों का भार बढ़ाये बिना ही उनका विस्तार किया जा सके। श्री भागवत झा आजाद ने इसकी आलोचना की है यह उचित नहीं है। इससे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की बदनामी होगी। हम वित्त मंत्री के कथन से सहमत हैं।

मंत्रालय के अधीन कई उपक्रम हैं ; जैसे उर्वरक कारखाने, एंटी-बायोटिक कारखाना, डी० डी० टी० कारखाना आदि। इन कारखानों में काफ़ी लाभ हो रहा है और यह अपनी योजनाओं की अर्थव्यवस्था के हेतु काफी रुपया रक्षित निधि में रख रहे हैं। उन रक्षित निधियों में से जो सिंदरी और नंगल कारखानों में जमा की गई थी १५ करोड़ रुपये सिंदरी के विस्तार के लिये और लगभग १० करोड़ रुपये नंगल और ट्राम्बे के की नई परियोजनाओं के लिये व्यय किये गये।

उर्वरक के मूल्य कम करने की मांग की गई है। किन्तु वास्तव में हम कम मूल्य ले रहे हैं जबकि उत्पादन मूल्य पहले से बढ़ गया है। सिंदरी कारखाने के मूल्य १९५९ में निर्धारित किये गये थे तब से कोयला और जिप्सम के मूल्य बढ़ गये हैं। भारत सरकार के मुख्य परिव्यय लेखा अधिकारी ने परिव्यय का विस्तृत अध्ययन किया है और प्रतिधारण मूल्य के बढ़ाये जाने की संभावना है।

उर्वरक के उत्पादन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि तीसरी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। गैर सरकारी क्षेत्र में इस सम्बन्ध में आशा के अनुकूल प्रगति नहीं हो पाई है। इस क्षेत्र में ७ कारखानों को लाइसेंस दिये थे जिन में से ४ कारखानों ने तो बिल्कुल ही प्रगति नहीं की है। कोरबा का कारखाना सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है।

नाइट्रोजन का उत्पादन अनुमानतः २.६ लाख टन होगा। जिसमें से २.३ लाख टन सरकारी क्षेत्र में और ३०,००० टन गैर सरकारी क्षेत्र में होगा। सिंदरी कारखाने का उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है।

हमारे पास २ अमोनिया संयंत्र हैं। एक पुराना है और एक हाल ही में स्थापित किया गया। पुराने संयंत्र में एक लाख से अधिक टन का उत्पादन हुआ है। हमारे सामने कठिनाई यह है कि जो जिप्सम हमें प्राप्त हो रहा है उसकी दिन प्रति दिन साख गिरती जा रही है। दोनों संयंत्रों के सम्बन्ध में यही कठिनाई है। इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है कि प्रत्यक्ष सम्पर्क पद्धति अपनाई जाये। इसके लिये ९५० टन सल्फ्यूरिक एसिड की दैनिक आवश्यकता होगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : यह समस्या सुलझ सकती है यदि आप इन कारखानों को राजस्थान में जिप्सम पाये जाने के स्थान के समीप स्थापित करें।

श्री अलगेशन : कारखाना स्थापित करने के बाद ऐसा कहने का कोई लाभ नहीं। हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड के पिम्परी यूनिट ने अपने निज के संसाधनों से अपना विस्तार किया

है। १९५६-५७ में इसकी पेनिन्सिलिन उत्पादन क्षमता ९ एम० एम० यू० पेनिसिलिन थी जो अब ६० एम० एम० यू० हो जायेगी। इस कारखाने के अपने ही संसाधनों से एक स्ट्रेप्टोमाइसीन संयंत्र की स्थापना की जायेगी जिसकी वार्षिक क्षमता ४० से ४५ टन की होगी और यह ८० से ९० टन तक बढ़ा दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: : शेष वह अपने वरिष्ठ सहयोगी के लिये छोड़ दें।

श्री अलगेशन : धन्यवाद, श्रीमान्।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो ९ मार्च, १९६४ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो ९ मार्च, १९६४ को सभा में पेश की गई थी, उहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद ८० तथा १७१ का संशोधन)

श्री च० कां० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं

भुमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL

धारा ३, ११ आदि का संशोधन

श्री सुबोध हंसदा (झारग्राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, १८६४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, १८६४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापिश करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सुबोध हंसदा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

ADVOCATE (AMENDMENT) BILL

धारा २४ का संशोधन

श्री च० भा० सिंह (बिलासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि अधिवक्ता अधिनियम, १६६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

ADVOCATE: (AMENDMENTB|LL

"कि अधिवक्ता अधिनियम, १६६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री च० भा० सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं

सरकारी कर्मचारी (सेवा निवृत के बाद सेवा पर प्रतिबंद) विधेयक

GOVERNMENT SERVANTS (BAN ON SERVICE AFTER RETIREMENT) BILL—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रा० गि० दुबे द्वारा २६ फरवरी, १९६४ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा होगी :

> "कि भारत सरकार के कर्मचारियों पर सेवा निवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी उपक्रमों में सेवा करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर—उत्तर) : श्रीमन्, इस विधेयक का ध्येय अत्यन्त साधारण है। इस समय भी अखिल भारतीय सेवा नियमों द्वारा सरकारी कर्मचारी के निजी उपक्रमों में नौकरी करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध है किन्तु ये प्रतिबन्ध समुचित नहीं है। कल एक माननीय सदस्य ने मुझे सुझाव दिया था कि ३०० रुपये की सीमा को और बढ़ा दिया जाये। मैं इस से सहमत हूं।

प्रविधिक कर्मचारियों की बात और है। दूसरी लोक सभा के दौरान भी एक ऐसा ही संकल्प प्रस्तुत किया गया था जिसे सभा ने अस्वीकार कर दिया था। श्री नन्दा प्रशासन से भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद समाप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि भाई भतीजावाद और पक्षपात दो विभिन्न बातें हैं। आई० सी० एस० के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्द्रीय सेवाओं पर अपना एकाधिकार सा बना लिया है। वे १०, १० अथवा १५, १५ वर्षों तक एक ही स्थान पर बने रहते हैं जिससे वे सेवाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपने निजी प्रयोजनों के लिये प्रशासन पर हावी हो सकते हैं।

सेवानिवृत्त होने पर उच्च अधिकारी गैर-सरकारी समवायों द्वारा नियुक्त कर लिये जाते हैं क्योंकि वे अधिकारी प्रशासन में अपने दबाव के बल पर उन समवायों को बहुत सुविधायें दिलवा सकते हैं। रेलवे विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी ने बर्ड एण्ड कम्पनी में नौकरी कर ली। अब उस कम्पनी के कार्यों की जांच हो रही है। कलकत्ता में आय-कर विभाग के कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर गैर-सरकारी फर्मों से ८,००० और १०,००० रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त हो जाते हैं। अतः सरकार को अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् गैर-सरकारी उपक्रमों में नौकरी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। यदि हमें इन व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाना ही है तो इन्हें सरकारी उद्योगों में नियुक्त किया जा सकता है।

हम देश में समाजवादी समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। हमें सेवाओं से भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही दूर करनी है। इसके लिये हमें सेवाओं में जो दोष हैं उन्हें दूर करना होगा और सेवाओं को ठोस बनाना होगा। इसी उद्देश्य से मैं ने यह सुझाव दिया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को कम से कम पहले चार वर्षों तक गैर-सरकारी उद्योगों में नौकरी करने की अनुमति न दी जाये। यही मेरे विधेयक का उद्देश्य है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा में विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता—पूर्व) : हमें आशा थी कि सरकार एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेगी जिससे कि केन्द्रीय सरकार के ही नहीं अपितु राज्य सरकार के भूतपूर्व कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी उपक्रमों में नौकरी करने की मनाही होगी। सरकार भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद को समाप्त करने की बातें करती है परन्तु हमारा यह अनुभव है कि सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर उच्च अधिकारियों, को सेवानिवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी समवायों द्वारा नौकरियां पेश की जाती हैं। गैर-सरकारी उद्योग अधिक वेतन का प्रलोभन देकर उच्च अधिकारियों से उनके सेवाकाल में भी अपने काफी काम निकलवाते हैं। इस प्रकार प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलता है। गैर-सरकारी कम्पनियां सरकारी नीतियों पर भी कुछ हद तक अपना प्रभाव डालने में सफल हो जाती हैं। यह एक आम बात सी होगई है। यद्यपि इस स्थिति का सामना करने के लिये यह विधेयक पर्याप्त नहीं है फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री रंगा (चित्तूर) : जिस बुराई का इस विधेयक में उल्लेख है वह केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। पदच्युत मंत्रियों की भी ठीक वही स्थिति है। वे अपने दल में वापिस जाकर दल के धनी लोगों के सम्पर्क में आते हैं। अत: उनके लिये अपनी पार्टी का भविष्य उज्जवल बनाना बड़ा आसान है, विशेष कर जबकि सत्ताधारी दल स्वतंत्रता की प्राप्ति से लगातार देश की सत्ता संभाले हुए है। सरकार को इस नई बुराई की ओर ध्यान देना चाहिये।

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में हमारी आपत्ति यह है कि सरकारी अधिकारियों तथा निजी समवायों के अधिकारियों के बीच जो अन्तर होना चाहिये वह ऐसी नियुक्ति से खत्म हो जाता है। सरकारी अधिकारी सरकार की नीति के बारे में निर्णय करते हैं। अत: इस भिन्नता के दूर होने से दोनों एक दूसरे के दबाव में आ सकते हैं और सरकार तथा गैर-सरकारी उपक्रमों में कोई अन्तर ही नहीं रह जायेगा। सेवानिवृत्त होने के चार वर्ष बाद सरकारी अधिकारी निजी समवायों में नियुक्त हो सकते हैं क्योंकि तब वे सरकारी अधिकारियों पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अत: सरकार को इस विधेयक के उद्देश्य से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और उसे इस दूसरी बुराई को दूर करने के लिये भी कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अ० शं० आलवा (मंगलौर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जब हम भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद को समाप्त करना चाहते हैं तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम ऐसे प्रलोभनों को समाप्त कर दें जो इन्हें बढ़ावा देते हैं।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

SHRI KHADILKAR IN THE CHAIR

बड़े उद्योगों के सम्पर्क अधिकारी या एजेंट सरकारी विभागों के बड़े अफसरों से मिल कर अपने काम निकलवाते हैं। वे लाइसेंस आदि प्राप्त करने में सफल होते हैं क्योंकि सरकारी अधिकारियों को यह प्रलोभन दिया जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बहुत बड़े वेतन पर उन उद्योगों में नौकरी मिल जायेगी। यह स्वाभाविक है कि कुछ अधिकारी उनके प्रलोभन में आ जाते हैं और उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यदि हम यह कर दें कि सेवानिवृत्ति के

चार वर्ष बाद ही गैर-सरकारी उद्योगों में नौकरी करने की अनुमति होगी तो गैरसरकारी उद्योग उनको नौकरी देने के लिये तैयार नहीं होंगे क्योंकि तब सेवानिवृत्त अधिकारी प्रशासन पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे ।

मैं चाहता हूं कि विधेयक में सुझाये गये ३०० रुपये के वेतन की बजाय १००० रु० या इससे कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू नहीं किया जाना चाहिए।

श्री रंगा की आपत्ति ठीक नहीं है क्योंकि मंत्री अपना पद छोड़ने के तुरन्त पश्चात् ही प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः गैर-सरकारी उपक्रम उन्हें लेने के लिये तैयार नहीं होंगे ।

सरकार को यह विधेयक स्वीकार करना चाहिए। यदि वह प्रस्तावित विधान में कोई परिवर्तन करना जरूरी समझती है तो उसे अपनी ओर से इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाना चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस विधेयक के मूल सिद्धान्त को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है क्योंकि सरकारी सेवाओं में इस प्रकार का नियम विद्यमान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद दो वर्ष से पहले गैर-सरकारी उपक्रमों में नौकरी नहीं कर सकता है और दो वर्ष बीतने पर भी उसे ऐसी नौकरी स्वीकार करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी होती है।

हमारे असैनिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि उनके लिये अपना जीवन बिताना भी मुश्किल हो जाता है। जब तक सरकार उनकी दशा सुधारने में असमर्थ है उसे कोई ऐसा विधान पारित नहीं करना चाहिये जो गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने में उनके रास्ते में और अधिक बाधा डाले। इस दृष्टि से विधेयक में सुझाई गई चार वर्ष की अवधि को स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

वर्तमान नियम के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों ने गैर-सरकारी उपक्रमों की नौकरी स्वीकार की है सरकार को ऐसे व्यक्तियों के बारे में तथ्य एकत्र करके मूल्यांकन करना चाहिये। उसे ऐसा मूल्यांकन करके ही इस बारे में कोई कार्यवाही करनी चाहिये। हम देश में समाजवादी समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसे राज्य के निर्माण में सरकारी कर्मचारियों का बहुत हाथ है अतः सरकार को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आर्थिक कठिनाइयों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। सरकार को उन पर कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये जिससे उन्हें अपना सेवानिवृत्त जीवन सुख से बिताने में असुविधा हो। अतः वर्तमान स्थिति में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों लिये गैर-सरकारी नौकरी स्वीकार करने के लिये अवधि को दो वर्ष से बढ़ा कर चार वर्ष करना उचित नहीं है ।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : मैं इस विधेयक के प्रस्तावक की भावनाओं की सराहना करता हूं परन्तु मुझे डर है कि इस विधेयक का कोई प्रभाव नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि हमारे यहां सदाचरण का अभाव है। इस दृष्टि से ही भूतपूर्व असैनिक कर्मचारियों को पहले दो वर्षों तक गैर-सरकारी नौकरी स्वीकार करने की मनाही की गई थी। यह बात नहीं है कि सारे भूतपूर्व असैनिक कर्मचारी (सिविल सर्वेंट) गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी स्वीकार करने के बाद अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं। यह बुराई इतनी व्यापक नहीं है जितना कि इसे बनाया

जा रहा है। इस स्थिति का मकाबला करने के लिये सब से अच्छा उपाय यही है कि सेवाओं को बाहरी प्रभाव से मुक्त किया जाये।

जहां तक डा० सिंघवी के तर्कों का सम्बन्ध है मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि कम पेंशन पाने वाले व्यक्तियों पर इस विधेयक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़े उद्योगों को तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो सरकार के बहुत बड़े अधिकारी रहे हों और जिनका प्रशासन पर प्रभाव हो और ऐसे अधिकारियों को तो बहुत अधिक पेंशनें मिलती हैं।

चूंकि इस विधेयक द्वारा इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता अतः मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : यह बात नहीं है कि सारे सेवानिवृत्त कर्मचारी भ्रष्ट हैं और गैर-सरकारी नौकरी स्वीकार करने के पश्चात् वे प्रशासन पर अनुचित प्रभाव डालते हैं। यह ठीक है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें गैर-सरकारी उद्योग बहुत बड़ी राशि वेतन के रूप में देकर नौकरी पर रखने के लिये तैयार होते हैं और विशेषकर सेवानिवृत्त आय-कर अधिकारियों को ऐसी पेशकशें की जाती हैं क्योंकि उनके प्रभाव से गैर-सरकारी उद्योग करोड़ों रुपये की आय-कर की राशि बचा सकते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार फैलता है। परन्तु मेरा कहना यह है कि यह बुराई केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है अपितु सार्वजनिक व्यक्ति भी इसके शिकार हैं। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य को गैर-सरकारी नौकरी स्वीकार करने की मनाही होनी चाहिये। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक सामूहिक आचरण संहिता होनी चाहिये जिसका पालन सब राजनीतिक दलों को करना चाहिये।

सरकार को इस विधेयक पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये और उच्च असैनिक कर्मचारियों तथा उच्च सार्वजनिक पद-धारियों दोनों को उसके कार्यक्षेत्र के अधीन लाना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Government pensioners should be given enough pensions so that they can make themselves comfortable in their old age. They should be given the same facilities which they enjoy while in Government service. If the retired life of a civil servant is made comfortable he would not be tempted to accept private employment. In the absence of these facilities, he would be forced to serve the private sector with utmost devotion.

The existing rules rgarding retirement are quite good but Govt. should ensure that they are enforced faithfully and no departure is made from them whatever may be the pressure from any quarter. I venture to say that Ministers should also be compelled to retire after attaining the age of 55 or 60 years and these rules should also be made applicable to them.

Shri Sarjoo Pandey (Rasrn) i This Bill should not only be made applicable to Central Government servants but employees of the State Governments should also be brought under the ambit of this Bill. In a democracy bureaucracy enjoys wide powers. It is but natural that big officers who enjoy wide powers are apt to misuse them. Therefore some check has to be put upon them. I would suggest that the Home Minister should himself bring

forward a Bill requiring Government servants not to seek entry into any undertaking after retirement.

The hon. Mover should not withdraw this Bill. The Bill should at least be circulated for eliciting public opinion on this vital subject.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : इस विधयक के प्रस्तावक तथा समर्थकों का उद्देश्य तथा अभिप्राय सराहनीय है। यह तो सब चाहते हैं कि देश का प्रशासन निर्विघ्न तथा सुचारू रूप से चले किन्तु यदि हम प्रस्तावक के इस सुझाव को मान लें कि सेवा निवृत्ति के बाद सभी कर्मचारियों पर गैर सरकारी समवायों में ४ वर्ष के लिये रोक लगाई जाये तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यह होगा कि सरकारी नौकरियों से सेवा निवृत्त होने वाले सब कर्मचारी भ्रष्ट हैं। दूसरी बात यह है कि इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सकता है कि वे लोग अपने सेवा काल में भ्रष्टाचारी न रहे हों। यह सब किसी व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है। अच्छाई अथवा बुराई आंशिक रूप में सभी स्थानों पर विद्यमान है।

सरकार प्रत्येक कमी को दूर करने का प्रयत्न करती है। प्रत्यक मामले पर इसके गुण व दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरी जांच पड़ताल करके ही गैर-सरकारी समवायों में नौकरी करने की अनुमति दी जाती है किन्तु इसके बावजूद भी गलती हो सकती है जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं हो पाती।

विधेयक सिद्धान्त के रूप में अच्छा है किन्तु इसके उपबन्धों में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गैर-सरकारी सेवाओं की यह परिभाषा करना कि सरकारी नौकरी से भिन्न सभी सेवायें गैर-सरकारी सेवायें हैं, त्रुटिपूर्ण हैं। किन्तु सरकारी निगम तथा सरकारी उपक्रमों में नौकरी करने के बारे में माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है।

इस समय साधारणतः गजटेड अफिसर को दो साल तक किसी गैर सरकारी समवाय में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है और आयकर अधिकारियों को तीन वर्ष बाद अनुमति दी जाती है।

सरकार भ्रष्टाचार का उन्मलन करने के लिए संथानम समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के संबंध में विचार कर रही है और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मैं इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुका हूं। अतः मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक इस विधेयकको वापस ले लेंगे।

श्री रा० गि० दुबे : यह सराहनीय बात है कि सरकार संथानम समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें लोगों को भ्रष्टाचार कर सकने का अवसर न मिले। सरकार के इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं सभा से विधयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री हरिविष्णु कामत : सरकार सेवा निवृत्त कर्मचारियों के गैर सरकारी समवायों में नौकरी करने पर रोक लगाने के पक्ष में है। क्या सरकार इसी प्रकार के प्रतिबन्ध सेवा निवृत्त होने वाले मंत्रियों पर लगाने की वांछनीयता पर भी विचार कर रही है ?

श्री हाथी : मैं सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा का उत्तर दे रहा था, न कि सेवा निवृत्त होने वाले मंत्रियों के।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापिस लेने की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री रा० गि० दुबे को, भारत सरकार के कर्मचारियों पर सेवा-निवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी उपक्रमों में सेवा करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री रा० गि० दुबे : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं ।

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक

COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL

(धारा ८ का संशोधन)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जांच आयोग अधिनियम १९५२, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि यह विधेयक पारित नहीं किया जायेगा । फिर भी प्रजातन्त्र में मुझे जो अधिकार प्राप्त है उसका उचित प्रयोग करके मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं । गृह मंत्री जी के साथ विधेयक को स्वीकार न करने में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि उन्हें सीमित दायरे के अन्दर कार्य करना पड़ता है ।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि जांच आयोग हमारे प्रजातन्त्र के सामान्य रूप से नियमित अंग होने चाहिये । उनकी नियुक्ति केवल चन्द मामलो तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए । इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जांच आयोगों की बैठकें गुप्त रूप से न होकर सार्वजनिक रूप से होनी चाहिएं ताकि उस मामले से सम्बन्धित सभी ऐसे व्यक्ति, जिनकी जांच की जा रही हो, आयोगों की कार्यवाही में भाग ले सकें ।

रेलवे मंत्रालय ने विभिन्न रेलवे दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये अनेक आयोगों की नियुक्ति की है तथा इसी प्रकार के जांच आयोग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागो द्वारा समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त किये जाते हैं । केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने भी विभिन्न मामलों की जांच करने के लिये इसी प्रकार के जांच आयोगों की नियुक्ति की है । इनका कार्य दूरदर्शिता का तथा सराहनीय रहा है ।

जांच आयोग जनता के विचारों को प्रदर्शित करने का एक अच्छा साधन है । इससे नौकरशाही के हस्तक्षेप के विरुद्ध जनता के अधिकारों की रक्षा हो सकती है । सरकार को जांच आयोग की

नियुक्ति कुछ ही मामलों में सीमित न करके प्राय: सभी जांच के लायक मामलों में आयोग नियुक्त करने चाहिएं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

इस विधेयक में कोई असाधारण बात नहीं कही गई है । इसमें मुख्य रूप से उन्हीं सिफारिशों का अनुसरण किया गया है जो विधि आयोग ने दिसम्बर, १९६२ में प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में की थी । यह निराशाजनक बात है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करके जांच आयोग अधिनियम में संशोधन नहीं किया जिसका प्रारूप भी आयोग ने तैयार करके गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया था । मेरा विचार है कि गृह-कार्य मंत्रालय के पास बहुत कार्य हैं इसलिये मंत्रालय इस बात का ठीक निर्णय नहीं कर पाता है कि पहले कौन सा कार्य किया जाये । मंत्रालय को सर्व प्रथम विधान सम्बन्धी कार्यक्रम की जांच करनी चाहिये और इसे उचित तरीके से लागू करने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

मंत्रालय को केन्द्र तथा राज्यों में जनता के हितों की रक्षा का ध्यान भी रखना चाहिए । राज्यों में होने वाले बहुत से मामलों पर केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिये तथा इनके बारे में राज्यों को उचित सुझाव देने चाहिएं ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री जयसुख लाल हाथी ने गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री का पद संभाला है । मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस विधेयक को स्वीकार करें । मुझे इस सम्बन्ध में उनकी ओर से पूर्ण आशा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस विधेयक को सभा के सामने रख कर सराहनीय कार्य किया है, यद्यपि इसमें मूल अधिनियम के कुछ ही उपबन्धों में संशोधन की व्यवस्था है जब कि आवश्यकता सारे अधिनियम में आमूल परिवर्तन करने की थी ।

यह खेद की बात है कि सरकार मूल अधिनियम में संशोधन करने के सम्बन्ध में विधि आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफल रही है । सरकार का यह संविहित उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करे । सरकार को अविलम्ब मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए ।

जांच आयोग अधिनियम देश के लिये एक महत्वपूर्ण कानून है । किन्तु इसको देश में समय-समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये इसके बारे में विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर इसमें संशोधन करना आवश्यक है । मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधान तैयार करेंगे ।

यह जनता के हित में होगा यदि आयोग खुली जांच करे । बहुत ही कम मामलों में, जहां पर गुप्त रूप से जांच करना अत्यन्त आवश्यक हो, गुप्त रूप से जांच की जानी चाहिए ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रस्तावक इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई के पात्र हैं । इस समय जो भी जांच आयोग किसी मामले में जांच

करता है वह गुप्त रूप से करता है जिससे पीड़ित व्यक्तियों को अपनी शिकायतें आयोग के सामने रखने का अवसर नहीं मिल पाता है ।

गृह-कार्य मंत्रालय का कार्य सब मंत्रालयों से अधिक महत्वपूर्ण है । सरकार का सारा उत्तर-दायित्व ही गृह-कार्य मंत्रालय पर है । इस मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि यह देश में विधि व्यवस्था को ठीक बनाये रखे जिससे किसी के साथ अन्याय न हो सके । जांच आयोगों द्वारा खुली जांच न करने के कारण उनकी उपपत्तियों का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकल पाता है तथा पीड़ितों के साथ न्याय नहीं होता । सरकार को यह विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिये । आज समय आ गया है जब कि गृह-कार्य मंत्रालय को अपने सारे कानूनों को संहिताबद्ध कर लेना चाहिये जिससे लोगों को उचित न्याय प्राप्त हो सके ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम विधि आयोग की सिफारिशों का मूल्य समझते हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न करते हैं । यह कहना भी गलत है कि हम इन सिफारिशों पर उचित रूप से विचार नहीं करते हैं ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जांच आयोग के सामने यह प्रश्न ही न रहे कि उसे जांच खुले रूप में करनी चाहिये या गुप्त रूप से । डा० सिंघवी ने भी विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये जोर दिया है । विधि आयोग भी इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार कर चुकने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिनियम के उस उपबन्ध में कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिये जिसमें जांच आयोग को यह निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है कि वह जांच खुले रूप से हो या गुप्त रूप से करे । प्रत्येक निर्णय मामले की स्थिति को देख कर किया जाता है कि जांच किस रूप में की जाये ।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस अधिनियम के लागू होने से अब तक कितनी जांचें खुले रूप में की गई और कितनी गुप्त रूप से ।

श्री हाथी : जानकारी प्राप्त होने पर दे दी जायेगी ।

श्री दी० चं० शर्मा ने विधि आयोग द्वारा तैयार किये गये विधेयक के प्रारूप की भी चर्चा की है । उन्होंने सरकार को इस बात का दोषी ठहराया है कि सरकार मूल अधिनियम में संशोधन करने में विलम्ब कर रही है । विधि आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये संशोधन संबंधी प्रारूप विधेयक में एक उपबन्ध मूल अधिनियम के समान ही है । इसलिये सरकार की ओर से विलम्ब करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि सरकार विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार नहीं करना चाहती है ।

विधेयक के बारे में दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही है कि जो लोग आयोग के सामने उपस्थित होकर अपनी शिकायतें रखना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिये । इसकी व्यवस्था अधिनियम में पहले से ही मौजूद है । नियुक्त किये जाने के बाद आयोग उन सभी व्यक्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये सूचित करता है जिन्हें वह जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से बुलाना उचित समझता है । श्री दी० चं० शर्मा की यह मांग करना उचित है । हमने नियमों के अन्तर्गत जहां संभव हो सकता है, इसकी व्यवस्था कर दी है ।

[श्री हाथी]

जहां तक अन्य मामलों का संबंध है हम विभिन्न सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही एक संशोधन विधेयक लायेंगे। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि सरकार का विचार विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है। यदि कोई सिफारिश स्वीकार्य न हुई तो सभा को अवश्य सूचित किया जायगा। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपना विधेयक वापस ले लेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : न मैं और न ही सभा माननीय मंत्री के आश्वासन से संतुष्ट हुए हैं। उनके कथन से मेरे मन में सन्देह उत्पन्न हुआ है। दोनों मंत्रालयों द्वारा सिफारिशों पर विचार करने का अर्थ यही है कि अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब होगा।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस उपबन्ध को कि यह कार्यवाही जनता के प्रकाश में लाई जाये कार्यरूप देंगे। यदि ऐसा किया गया तो प्रशासन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और देश का नैतिक सुधार होगा।

इस के अतिरिक्त, इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि सिफारिशों को कब तक कार्य रूप दिया जा सकेगा। बार बार यह कह देने से समस्या वहीं रहती है कि यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित किया जायगा। माननीय मंत्री के आश्वासन देने से भी समस्या हल नहीं होती। हो सकता है कि कल वह किसी अन्य मंत्रालय का कार्य सम्भाल लें। केवल केन्द्र में ही नहीं वरन् राज्यों में भी जहां कहीं लोकतन्त्रात्मक पद्धति के अनुसार कार्य न हो रहा हो, जांच आयोग नियुक्त किये जाने चाहियें। जांच अयोग नियुक्त करने से जनता और सरकार की समस्या का समाधान होता है। माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उस से मेरी तुष्टि नहीं हुई है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की मंत्री बिलकुल परवाह नहीं करते। आज तक आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते जब कि गैर-सरकारी विधेयक अथवा संकल्प सरकार ने माना हो।

मेरा निवेदन है कि यह बातें लोकतन्त्रात्मक प्रणाली के अनुकूल नहीं है। लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष भी महत्वपूर्ण योग देते हैं। आप चूंकि सदस्यों के अधिकारों आदि को संरक्षण देते हैं इसलिये आप को मंत्रियों को बताना चाहिए कि वह अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लायें।

चूंकि मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा विधेयक वापस न लेने पर भी यह अस्वीकृत हो जायगा इसलिये मैं इसे वापस लेता हूं। परन्तु मेरा मंत्री से अनुरोध है कि वह आगामी सत्र में यह विधेयक अवश्य प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापस लेने के लिये सभा अनुमति देती है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The Bill was, by leave, witdrawn.

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment Bill)

(अनुच्छेद ८४ तथा १७३ का संशोधन)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : एक औचित्य का प्रश्न सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आज दूसरी बार गणपूर्ति की घंटी बजाई गई है। माननीय सदस्यों को गणपूर्ति बनाये रखनी चाहिये।

चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है इसलिये अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, १६ मार्च, १९६४/फाल्गुन २६, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 16, 1964/Phalguna 26, 1885 (Saka).